54

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

चौवनवां प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा

15 /03/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
	प्रतिवेदन	
एक.	प्रस्तावना	1-6
दो.	शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा	6-11
तीन.	कार्यान्वयन प्रतिवेदन	11-12
	परिशिष्ट	
एक.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक' विषय से संबंधित दिनांक 19.08.2011 को सामान्य चर्चा	13-24
दो.	'लघु उद्योग के रूप में प्रकाशन ' विषय से संबंधित दिनांक 07.09.2011 का अता.प्र.सं. 5587	25
तीन.	अध्ययन केन्द्र' विषय से संबंधित दिनांक 19.12.2012 का अता.प्र.सं. 4175	26
चार.	राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति' विषय से संबंधित दिनांक 20.03.2013 का अता.प्र.सं. 3783	27-28
पांच.	'उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना' विषय से संबंधित दिनांक 16.07.2014 का ता.प्र.सं. 136	29-33
छह.	'श्री जय प्रकाश नारायण मानविकी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्राप्त केन्द्र (जेपीएनएनसीईएच) की स्थापना' विषय से संबंधित दिनांक 30.07.2014 का अता.प्र.सं. 2941	34
सात.	'भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं' विषय से संबंधित दिनांक 22.04.2015 का अता.प्र.सं. 4799	35-36
आठ.	'भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर) में कदाचार' विषय से संबंधित दिनांक 12.08.2015 का ता.प्र. सं. 341	37-38
नौ.	'संस्कृत भाषा का संवर्धन' विषय से संबंधित दिनांक 14.12.2015 का अता.प्र.सं. 2466	39
दस.*	'गैर नेट उध्येतावृत्ति' विषय से संबंधित दिनांक 25.04.2016 का अता.प्र.सं. 19	40-41
ग्यारह.*	'गैर नेट उध्येतावृत्ति' विषय से संबंधित दिनांक 02.05.2016 का अता.प्र.सं. 1243	42-43
बारह.	'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का कार्यकरण' विषय से संबंधित दिनांक 02.05.2016 का ता.प्र.सं. 1351	44-45

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 02.02.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

तेरह.	'विश्वविद्यालयों की रैंकिंग' विषय से संबंधित दिनांक 25.07.2016 का ता.प्र.सं. 101 (श्री विनोद कुमार बोयनापल्ली, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	46-53
चौदह.	'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016' विषय से संबंधित दिनांक 28.03.2017 की सामान्य चर्चा	54
पन्द्रह.	'अल्प संख्यक विश्वविद्यालय' विषय से संबंधित दिनांक 17.07.2017 का ता.प्र.सं. 4	55-56
सोलह.	'अ.जा., अ.ज.जा. और ओ.बी.सी का प्रतिनिधित्व' विषय से संबंधित दिनांक 26.03.2018 का अता.प्र.सं. 4947	57
सत्रह.	'डिग्री पाठ्यक्रम' विषय से संबंधित दिनांक 30.07.2018 का अता.प्र.सं. 1974	58
अठारह.	'डिग्री पाठ्यक्रम' विषय से संबंधित दिनांक 30.07.2018 का अता.प्र.सं. 2015	59
उन्नीस.	भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय से उद्धरण।	60-64
बीस.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) की 24 जून, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	65-68
इक्कीस.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 20 दिसम्बर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	69-70
बाईस.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) की संरचना ।	71

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) *

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पांडेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त@

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202.

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) का सभापति समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह चौवनवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) ने 24 जून, 2021 को हुई अपनी बैठक में लंबित आश्वासनों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-21) ने अपनी 20 दिसम्बयर, 2021 को हुई बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं ।

5. संदर्भ और सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;.,
21 दिसम्बर 2021
अग्रहायण 30,1943 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सभा में समय-समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, किए गए वादों आदि की जांच करती है और इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि ऐसे आश्वासनों, वादों, वचनों आदि को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है । सभा में कोई आश्वासन दिए जाने के पश्चात् उसे तीन महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है । भारत सरकार के मंत्रालयविभाग/ आश्वासन को निर्धारित तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में समय-विस्तार की मांग कर सकते हैं । जहां मंत्रालयविभाग/ किसी आश्वासन को कार्यान्वित करने में असमर्थ हों, वहां उन्हें आश्वासन को छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध करना होता है । समिति ऐसे अनुरोधों पर विचार करती है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होती है कि बताए गए आधार तर्कसंगत हैं, तो आश्वासन को छोड़ने की स्वीकृति देती है। समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या आश्वासन का कार्यान्वयन उस प्रयोजनार्थ आवश्यक न्यूनतम समय के अंदर हुआ है अथवा नहीं तथा आश्वासन को किस सीमा तक पूरा किया गया है ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2009-2010) ने लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने, विलंब के कारणों की जांच करने, आश्वासनों पर कार्रवाई करने हेतु मंत्रालयोंविभागों/ में निर्धारित प्रणाली के प्रचालन का विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंविभागों/ के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने का नीतिगत निर्णय लिया । समिति ने सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये आश्वासनों की गुणवत्ता को भी देखने का निर्णय लिया ।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2014-15) ने भारत सरकार के मंत्रालयोंविभागों/ के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने की सुस्थापित और समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया का पालन करने और लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने का निर्णय लिया । समिति ने एक कदम और बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाने का निर्णय लिया क्योंकि सभी आश्वासनों का कार्यान्वयन उनके माध्यम से किया जाता है।

4. उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) ने शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को 24 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में बुलाया। समिति ने निम्नलिखित 23 (परिशिष्ट एक से अट्ठारह) आश्वसनों की विस्तृत जांच की:-

सारणी एक

क्र.सं.	ता.प्र.सं/अता.प्र.सं. और दिनांक	विषय
1.	दिनांक 19.08.2011 की सामान्य चर्चा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक (परिशिष्ट-एक)
2.	अता.प्र.सं. 5587 दिनांक 07.09.2011	छोटे स्तर के रूप में प्रकाशन (परिशिष्ट-दो)
3.	अता.प्र.सं. 4175 दिनांक 19.12.2012	अध्ययन केन्द्र (परिशिष्ट-तीन)
4.	अता.प्र.सं. 3783 दिनांक 20.03.2013	राष्ट्रीय पुस्तक संबंधी नीति (परिशिष्ट-चार)
5.	ता.प्र.सं. 136 दिनांक 16.07.2014	उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना (परिशिष्ट-पांच)
6.	अता.प्र.सं. 2941 दिनांक 30.07.2014	जेपीएनएनसीईएच (जय प्रकाश नारायण नेशनल सेन्टर फॉर एक्सेलेंस इन ह्यूमनिटीस) (परिशिष्ट-छह)
7.	अता.प्र.सं. 4799 दिनांक 22.04.2015	भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं (परिशिष्ट-सात)
8.	ता.प्र.सं. 341 दिनांक 12.08.2015	आईसीएचआर (इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च) में अनियमितताएं (परिशिष्ट-आठ)
9.	अता.प्र.सं. 2466 दिनांक 14.12.2015	संस्कृत भाषा का संवर्धन (परिशिष्ट-नौ)
*10	अता.प्र.सं. 19 दिनांक 25.04.2016	नॉन-एनईटी फेलोशिप (परिशिष्ट-दस)
*11	अता.प्र.सं. 1243 दिनांक 02.05.2016	नॉन-एनईटी फेलोशिप (परिशिष्ट-ग्यारह)
12	अता.प्र.सं. 1351 दिनांक 02.05.2016	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का कार्यकरण (परिशिष्ट-बारह)
13	ता.प्र.सं. 101 दिनांक 25.07.2016	विश्वविद्यालयों की रैंकिंग (परिशिष्ट-तेरह)

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 02.02.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

	(श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली द्वारा पूरक प्रश्न)	
14	दिनांक 28.03.2017 की सामान्य चर्चा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 (परिशिष्ट-चौदह)
15	ता.प्र.सं. 4 दिनांक 17.07.2017	अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय (परिशिष्ट-पन्द्रह)
16	अता.प्र.सं. 4947 दिनांक 26.03.2018	अजा, अजजा और ओबीसी का प्रतिनिधित्व (परिशिष्ट-सोलह)
17	अता.प्र.सं. 1974 दिनांक 30.07.2018	डिग्री कोर्स (परिशिष्ट-सत्रह)
18	अता.प्र.सं. 2015 दिनांक 30.07.2018	डिग्री कोर्स (परिशिष्ट-अट्ठारह)

5. भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय प्रक्रियाओं के मैन्युअल का सारांश, जिसके अन्तर्गत आश्वासन की परिभाषा, इसे पूरा करने की समय-सीमा, उसे निकालने/हटाने और विस्तार तथा पूरा करने की प्रक्रिया इत्यादि एवं आश्वासनों के कार्यान्वयन में देरी को कम करने हेतु सावधिक समीक्षाएं तथा आश्वासनों के रजिस्टर के रखरखाव से संबंधित विवरण परिशिष्ट-XIX में दिया गया है।

6. मौखिक समीक्षा के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधियों का ध्यान मूलत: उन आश्वासनों को पूरा करने में हुई लम्बी देरी की ओर दिलाया गया। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालयों/विभागों को तीन महीने की अवधि में आश्वासन का अनुपालन करना होता है तथा यदि वे इस अवधि पर आश्वासन को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब उनके लिए समय विस्तार की मांग करना अनिवार्य है। समिति ने आगे इस बात पर जोर दिया कि संसदीय लोकतंत्र के मूल्य की रक्षा करने हेतु यह आवश्यक है कि आश्वासनों को यथाशीघ्र उनके तार्किक परिणति तक लाया जाए। सचिव, शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने समिति को आश्वासनों को पूरा करने से संबंधित स्थिति के बारे में निम्नानुसार अवगत कराया:

"महोदय, जैसा कि आपने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर समय पर कार्रवाई की जाए। हमारा विभाग इस पर गंभीरता से कार्य कर रहा है वर्ष 2018 में विभाग से संबंधित 206 आश्वासन लंबित थे। वर्ष 2019 में यह संख्या घटकर 124 हो गई। वर्ष 2020 में यह संख्या घटकर 113 हो गई तथा 2021 में आज की स्थिति के

अनुसार 52 आश्वासन लंबित हैं। आपने 47 आश्वासनों के बारे में बताया है। पांच और आश्वासन हैं, हमारा विभाग भी इससे अवगत है तथा उसने आश्वासनों को समय पर पूरा करने का प्रयास किया है। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति अथवा पुस्तक प्रकाशन नीति जैसे कुछ नीतिगत मुद्दे हैं। आप भी इससे भली-भांति अवगत हैं। नीतिगत मामलों में कई बार समय लगता है। महोदय, जैसा कि मैंने बताया है, तीन वर्ष पहले 206 आश्वासन लंबित थे। आज उनकी संख्या घटकर 52 रह गई हे। आज 18 आश्वासनों पर चर्चा होनी है। उनमें से सात आश्वासन ऐसे है जिनकी अनुपालन रिपोर्ट हमने भेज दी है। इनमें से तीन आश्वासन ऐसे हैं जो शैक्षिक क्रियाओं से संबंधित हैं लेकिन वे विभाग से संबंधित नहीं हैं। पहला स्कूली शिक्षा से जुड़ा है दूसरा कॉपीराइट से जुड़ा है जिसकी देखरेख वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है, तीसरा आश्वासन अल्पसंख्यक स्कूल खोलने से संबंधित है तथा वह रिपोर्ट पूर्णतया अल्पसंख्यक कार्यो से संबंधित था। अत: 18 आश्वासनों में से 3 अन्य विभाग से संबंधित थे। हमने बाकी बचे 15 आश्वासनों को पूरा करने में निश्चित रूप से समय लिया है। आपने भी हमें समय दिया है। हमने उन 18 आश्वासनों में से 7 पर कार्य किया है। इनके बारे में मैं आगे होने वाली चर्चा में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूँगा कि सरकार इन आश्वासनों के बारे में पूर्ण रूप से गंभीर रही है। इसीलिए आश्वासनों की संख्या में कमी आई है। गंभीरता न केवल शब्दों में, बल्कि कार्य में रही है। हमारे आश्वासनों की संख्या 206 से घटकर 52 रह गई है अर्थात् करीब एक चौथाई आश्वासन बाकी है। हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं।"

7. इसके बाद समिति ने लंबित आश्वासनों को मॉनीटर करने और उनकी समीक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। समिति ने यह भी जानना चाहा कि आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में मंत्रालय में की गई बैठकों का विवरण और बारंबारता क्या है? इस संबंध में, शिक्षा मंत्रालय के सचिव (उच्च शिक्षा विभाग) ने निम्नानुसार बताया:

"महोदय, इस संख्या में आई कमी का एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि आश्वासनों की नियमित समीक्षा की जाती रही है। हम चार विषयों की नियमित समीक्षा करते हैं। पहला आश्वासन से संबंधित है और दूसरा लेखा परीक्षा पैरा है..... मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। परन्तु, हमने दो महत्वपूर्ण संस्थान (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद) के सचिव उस समीक्षा बैठक में भाग लेते हैं। सरकार और संगठनों के समन्वय से हम आगे बढ़ रहे हैं।"

8. इसके बाद समिति ने विशेष रूप से यह पूछा कि इस संबंध में बैठकें कितनी बार होती है। सचिव, शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने समिति की समक्ष निम्नानुसार बताया:-

"महोदय, मासिक समीक्षा होती है। लेकिन इनके बीच भी हम बैठकें करते हैं।"

9. तदुपरान्त, सारणी 1 की क्रम सं. 9, 12, 16, 17 और 18 में उल्लिखित पांच आश्वासनों का अनुपालन 04/08/2021 को हो गया है और तालिका-I में क्र. सं. 7 और 15 पर उल्लिखित दो आश्वासन 01.12.2021 को कार्यान्वित किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ समिति 12/08/2021 को हुई अपनी बैठक में समिति क्रम सं. 2 पर उल्लिखित आश्वासन को छोड़ने के बारे में उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध से सहमत हुई।

टिप्पणियॉ/सिफारिशें

10. समिति यह नोट करती है कि उसके द्वारा लिए गए 18 लंबित आश्वासनों में से क्रम सं. 1 और 3 पर उल्लिखित आश्वासन का अनुपालन क्रमश: दस वर्षों से भी अधिक तथा लगभग नौ वर्ष के बाद भी नहीं हो पाया जबकि क्रम सं. 4 और 6 पर उल्लिखित तीन अन्य आश्वासन सात से आठ वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं। इसी प्रकार क्रम सं. 7 और 8 पर उल्लिखित दो आश्वासन छह वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं तथा क्रम सं. 10, 11, 13, 14 तथा 15 पर उल्लिखित बाकी बचे पांच आश्वासन चार से पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। क्रम सं. 7, 9, 12, 15, 16, 17 और 18 पर उल्लिखित सात आश्वासनों को पूरा करने का समय तीन वर्षों से अधिक और छह वर्ष के बीच है। इसके साथ-साथ क्रम सं. 2 पर उल्लिखित आश्वासन दस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित था और वह भी तब जब समिति ने मंत्रालय द्वारा इस आश्वासन को छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आश्वासनों को पूरा करने में हुई इस प्रकार की देरी से संसदीय आश्वासनों को मंत्रालय द्वारा पूरा करने के कार्य की दयनीय स्थिति का आभास होता है। तथापि, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग ने साक्ष्य के दौरान यह बताया कि विभाग आश्वासनों पर गंभीरता से कार्य कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में आश्वासनों की संख्या 206 से घटकर 52 रह गई। समिति इस कार्य के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की प्रशंसा करती है और यह आशा तथा विश्वास करती है कि शिक्षा मंत्रालय बाकी बचे आश्वासनों को पूरा करने की दिशा में सही प्रकार से निगरानी कार्य करता रहेगा। समिति का यह विचार है कि चूंकि संसद इस देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय है, अत: लोगों की इससे उच्च आकांक्षा होती है और आश्वासनों का समयबद्ध कार्यान्वयन, जो पवित्र संसदीय दायित्व है, के द्वारा प्रशासन में लोगों का विश्वास बहाल होता है। इसके साथ-साथ, उच्चतर शिक्षा का क्षेत्र देश की प्रगति का मुख्य आधार है तथा मंत्रालय के बाकी आश्वासनों के

कार्यान्वयन हेतु बिना देरी के और अधिक गंभीरता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समिति इस बात को समझती है कि कुछ आश्वासनों के अनुपालन में और समय लग सकता है विशेषकर नीतिगत मामले तथा ऐसे मामले, जिनमें अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता है। तथापि, संसदीय आश्वासनों के अनुपालन हेतु अन्य विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वय स्तर में वृद्धि हेतु अधिक सक्रिय और लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय की वर्तमान व्यवस्था को और अधिक नूतन विचारों को शामिल कर एवं सर्वोच्च स्तर पर आश्वासनों के नियमित, सुव्यवस्थित तथा प्रभावी समीक्षा के द्वारा पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है। अत: समिति की यह इच्छा है कि यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय को ऐसे मामलों को संबंधित मंत्री स्तर तक ले जाना चाहिए जिससे कि वांछित परिणाम प्राप्त हो। समिति मंत्रालय से यह आग्रह भी करती है कि वह आश्वासनों की निगरानी हेतु समय-समय पर मंत्रालय में होने वाली समीक्षा बैठकों की कार्यवृत्त प्रस्तुत करे क्योंकि उसमें समिति को आश्वासनों के अनुपालन के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की प्रगति को मापने में सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ, यह उत्तरदायित्व के एक औजार तथा उपयोगी समीक्षा दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

II. शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबति आश्वासनों की समीक्षा

11. इसके बाद के अनुच्छेदों में समिति ने शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ लंबित आश्वासनों की चर्चा की है, जिनकी उन्होंने 24.06.2021 को हुई अपनी बैठक में गहन जांच/समीक्षा की है

(क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन)विधेयक

12. 19.08.2011 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक पर हुई सामान्य चर्चा के दौरान, शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण से संबंधित मामले पर श्री शैलेन्द्र कुमार, सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते हुए, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री ने बताया कि इस मामले पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

13. उक्त आश्वासन के अनुपालन में आगे हुई प्रगति के बारे में समिति को अवगत कराते हुए शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने जून, 2021 में दिए गए अपने वस्तु स्थिति टिप्पण में निम्नानुसार बताया:-

> *"..... केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों (नामांकन में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में संशोधन संबंधी मानव संसाधन मंत्री के उत्तर के बारे में, उच्च शिक्षा ब्यूरो का विश्वविद्यालय प्रभाग कार्य कर रहा है..... विश्वविद्यालय प्रभाग ने यह बताया है कि केन्द्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा (सीटीईटी) के परिणाम में माननीय सांसद का वक्तव्य अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है और यह सीटीईटी से संबंधित नहीं है। सीटीईटी से संबंधित कार्य मंत्रालय के*

प्रारम्भिक ब्यूरो द्वारा किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे उस विभाग को 04/09/2013 को स्थानान्तरित किया जाता है।"

14. शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा विभाग) ने आगे यह बताया कि यह मामला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास लंबित है।

15. मौखिक साक्ष्य के दौरान, सचिव शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा विभाग) ने इस आश्वासन के बारे में समिति के समक्ष निम्नानुसार बताया-

"महोदय, यह आश्वासन काफी लंबे समय से लम्बित है। यह आश्वासन वर्ष 2011 में सामान्य चर्चा के दौरान दिया गया था। जब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब माननीय सांसद श्री शैलेन्द्र कुमार ने इसके बारे में पूछा था। इस संबंध में इन्होंने (माननीय मंत्री) ने कहा था कि अन्य विभागों से सूचना प्राप्त करनी है। मुख्य रूप से यह सूचना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से प्राप्त करनी थी। आपकी अनुमति से मैं तत्कालीन मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ना चाहूंगा कि "मेरे पास केन्द्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा (सीटीईटी) की रिपोर्ट है। मैं इसे आपको दूंगा "सीटीईटी से संबंधित कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग सीटीईटी से संबंधित कार्य नहीं करता है। हमने इसे स्कूल शिक्षा को स्थानान्तरित कर दिया है। मैं समिति के समक्ष एक और सूचना प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इससे पहले जांच प्रमाणपत्र एक विशेष अवधि के लिए होता था, पिछले सप्ताह, माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से इसे लाइफ लांग कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वह प्रमाणपत्र सर्वदा वैध होगा। इसे समाचारपत्र में भी प्रकाशित किया गया। सीटीईटी की देखरेख स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है।"

16. समिति ने इस बात पर ध्यान देते हुए कि मंत्रालय ने अपनी वस्तु स्थति टिप्पण में यह कहा है कि यह आश्वासन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास लंबित है, समति ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि इस आश्वासन को कब तक पूरा किया जाएगा। इस संबंध में सचिव, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा विभाग) ने निम्नानुसार कहा-

"महोदय, यह विभाग एक अलग विभाग है, परन्तु, मंत्रालय और उसके मंत्री समान है। आपसी बैठकें भी होती है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री द्वारा की जाती है। इसमें दोनों विभागों के सचिव शामिल होते हैं। यद्यपि, यह मामला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित है, परन्तु हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम उनसे बात करके इस कार्य को दिसम्बर महीने के अंत तक करवा देंगे।"

17. यह पूछे जाने पर कि क्या स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, तो सचिव, शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"आज उन्हें नहीं बुलाया गया। यद्यपि दोनों विभागों का मंत्रालय एक ही है।"

18. यह देखते हुए कि दोनों विभाग एक ही मंत्रालय के अधीन हैं और वे इस मामले का आपस में समाधान कर सकते हैं, समिति ने पूछा कि मंत्रालय को आश्वासन के कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निम्नवत बताया:-

"महोदय, हमारा मंत्रालय एक ही है, इसलिए हम मंत्री महोदय के निवास पर दोनों विभागों की बैठक करेंगे ।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

19. समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि सीटीईटी के परिणाम में एससी/एसटी/ओबीसी/के लिए आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित आश्वासन 10 वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद लंबित है एक ही मंत्रालय के दो विभागों के बीच अभी तक अधर में है । समिति ने यह पाया कि आश्वासन को पूरा करने में विलंब का मुख्य कारण मंत्रालय के दो विभागों अर्थात उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के बीच समन्वयन की कमी है, जो संसदीय आश्वासन के संबंध में मंत्रालय के ढिलाई पूर्ण रवैये को दर्शाता है । समिति को यह बताया गया है कि यह आश्वासन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित है और मामले को आगे कार्रवाई के लिए 04.09.2013 को मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो को अंतरित कर दिया गया है । यह बहुत देर से की गई कार्रवाई थी, जिसे तब तत्काल ही किया जाना चाहिए था जब अगस्त, 2011 में आश्वासन दिया गया था । तथापि, यह तथ्य कि आश्वासन दस (10) वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहा, स्पष्टतः दर्शाता है कि उच्च शिक्षा विभाग में आश्वासनों की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र प्रभावी नहीं है । इस मामले में सक्रिय कार्रवाई करने में उच्च शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये और विफलता की निंदा करते हुए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह अपने प्रयासों में और तेजी लाए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ समन्वय करे तथा आश्वासन के त्वरित कार्यान्वियन हेतु मंत्री स्तर पर जोर-शोर से मामले की देख-रेख कर तथा इसका समाधान ढूंढने और भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए प्रभावी तंत्र भी विकसित करे ।

(ख) <u>गैर-नेट अध्येतावृति</u>

* (एक) 'गैर-नेट अध्येतावृति' के संबंध में दिनांक 25.04.2016 का अता.प्र.सं. 19 (क्रम सं.10)
* (दो) 'गैर-नेट अध्येतावृति' के संबंध में दिनांक 02.05.2016 का अता.प्र.सं. 1243 (क्रम सं.11)

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 02.02.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

20. 'गैर-नेट अध्येतावृति' के संबंध में दिनांक 25.04.2016 के अता.प्र.सं. 19 (परिशिष्ट-दस) के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया कि प्रो. गौतम बरुआ की अध्यक्षता में समिति ने विचारार्थ विषय में गैर-नेट अध्येतावृति के चयन, कवरेज, पुरस्कार और प्रशासन के लिए अनुशंसा दिशानिर्देशों को शामिल किया है। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा थी । 'गैर नेट अध्येतावृति' के संबंध में दिनांक 02.05.2016 के अता.प्र.सं. 1243 (परिशिष्ट-ग्यारह) के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्धानों से मांगें प्राप्त हुई थी, उनकी मांग थी कि गैर-नेट अध्येतावृति अनुदान में वृद्धि की जाए । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन मुद्दों की जांच के लिए प्रो. गौतम बरुआ की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया था ।

21. शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने जून, 2021 के अपने स्थिति संबंधी टिप्पण में आश्वासन के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति की निम्नवत जानकारी दी:

" नेट और गैर-नेट अध्येतावृतियों से संबंधित मुद्दों की पुनरीक्षा के लिए गठित प्रो. गौतम बरुआ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है । प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से टिप्पणियाँ मांगी गई हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो. गौतम बरुआ समिति के प्रतिवेदन की जांच के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति के बारे में जानकारी दी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ।"

22. मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासनों के कार्यान्वयन के संबंध में अद्यतन जानकारी देते हुए सचिव, शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने निम्नवत् बताया:-

" महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए, मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष से भी अनुरोध किया है । गैर-नेट अध्येतावृति की समस्या के संबंध में कुछ कार्रवाई की गई है । अध्यक्ष (यूजीसी) इस संबंध में कुछ बतायेंगे ।"

23. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यह भी निम्नवत् बताया:-

" ऐसा प्रतीत होता है कि गैर-नेट अध्येतावृति बंद कर दी गई है । महोदय, यह बंद नहीं की गई है, लेकिन प्रो. गौतम बरुआ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन

किया गया है और हमारे पास इसकी सिफारिशें आ चुकी हैं । अध्येतावृति में बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया गया है । यह निर्णय लिया गया कि समिति की सिफारिशों का निष्पाद न करने के लिए इसकी कार्यान्वयन योजना तैयार की जानी चाहिए । वह योजना भी हमें प्राप्त हो चुकी है । अब इसे समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा ।"

24. यह देखते हुए कि नेट ओर गैर-नेट अध्येतावृति से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित प्रो. गौतम बरुआ समिति का प्रतिवेदन मंत्रालय में प्राप्त हो चुका है, समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि यह प्रतिवेदन कब आया । उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि ने निम्नवत् बताया:-

" महोदय, इसका अंतिम प्रतिवेदन 05 जनवरी, 2021 को मंत्रालय को प्राप्त हुआ है ।"

25. जब समिति ने यह कहा कि मंत्रालय को विशेष रूप से यह जानकारी लिखित में समिति को देनी चाहिए थी और यह हैरानी प्रकट की कि प्रतिवेदन को आने में इतना समय कैसे लगा, तो उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों ने निम्नवत् बताया:-

" जी हां, महोदय, इन वर्षों में बहुत सारे आंकड़े एकत्र किए गए और समिति की भी कई बैठकें हुई ।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

26. समिति यह नोट करके चिंतित है कि 'गैर-नेट अध्येतावृति' के संबंध में दिनांक 25.04.2021 के अता.प्र.सं. 19 और दिनांक 02.05.2016 के अता.प्र.सं. 1243 के उत्तरों में विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए आश्वासनों को 05 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्यान्वित नहीं किया गया है । मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति को बताया गया कि नेट और गैर-नेट अध्येतावृतियों से संबंधित मुद्दों की पुनरीक्षा के लिए 28.10.2015 को गठित प्रो. गौतम बरुआ समिति का प्रतिवेदन 05.01.2021 को मंत्रालय को मिल चुका है और इस समिति ने अध्येतावृति बढ़ाने का सुझाव दिया है । प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से टिप्पणियां मांगी गई हैं और बदले में अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो. गौतम बरुआ समिति के प्रतिवेदन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है । मंत्रालय ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से एक समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। समिति ने पाया कि देश की समग्र अकादमिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति में तेजी लाने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी शोधकर्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । तथापि, रिसर्च स्कालरों को दी

जाने वाली अपर्याप्त/कम वित्तीय सहायता अनुसंधान के मानक और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और भावी अनुसंधानकताओं और अनुसंधान के क्षेत्रों में देश की प्रगति की संकल्पना करती है, तो इसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित रूप से पर्याप्त धनराशि प्रदान कर अनुसंधानकर्ताओं की तरफ ध्यान दें और उन्हें महत्व दे । अत:, समिति यह महसूस करती है कि विभाग और विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, दोनों, जहां तक उच्च शिक्षा क्षेत्र का संबंध है, पूरे देश में शीर्ष प्राधिकरण होने के कारण गैर-नेट अध्येतावृति के विस्तार सहित इन मामलों में सक्रिय कार्रवाई करते हुए समयबद्ध समुचित निर्णय लें । समिति चाहती है कि विभाग राष्ट्रीय हित में और विलंब किए बिना आश्वासन के कार्यान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर सभी संबंधितों के साथ सघन समन्वयन करते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए और आवश्यक कार्यान्वयन प्रतिवेदन शीघ्र सभा पटल पर रखे ।

तीन. कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन

27. संसदीय कार्य मंत्रालय के विवरणों के अनुसार निम्नलिखित पांच (5) आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन 04.08.2021 को सभापटल पर रख दिए गए हैं:

तालिका 2

क्रम सं.	तालिका 1 (पैरा सं. 4) में क्रम संख्या	ता.प्र./अता.प्र.सं. और तिथि	कार्यान्वयन की तिथि
1.	क्रम सं. 7	'भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं' के संबंध में दिनांक 22.04.2015 का अतारांकित प्रश्न सं. 4799	01.12.2021
2.	क्रम सं. 9	'संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन' के संबंध में दिनांक 14.12.2015 का अतारांकित प्रश्न सं. 2466	04.08.2021
3.	क्रम सं. 12	'एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) का कार्याकरण के संबंध में दिनांक 02.05.2016 का अतारांकित प्रश्न सं. 1351	04.08.2021

4.	क्रम सं. 15	'अल्प संख्यक विश्वविद्यालयों' के संबंध में दिनांक 17.07.2017 का तारांकित प्रश्न सं. 4	01.12.2021
5.	क्रम सं. 16	'एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व' के संबंध में दिनांक 26.03.2018 का अतारांकित प्रश्न सं. 4947	04.08.2021
6.	क्रम सं. 17	'डिग्री कोर्सेज़' के संबंध में दिनांक 30.07.2018 का अतारांकित प्रश्न सं. 1974	04.08.2021
7.	क्रम सं. 18	'डिग्री कोर्सेज़' के संबंध में दिनांक 30.07.2018 का अतारांकित प्रश्न सं. 2015	04.08.2021

नई दिल्ली;.,
21 दिसम्बर 2021
अग्रहायण 30,1943 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट - २क

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक' विषय से संबंधित दिनांक 19.08.2011 को सामान्य चर्चा

SHRI KAPIL SIBAL : Thank you, Sir. First of all, at the outset, I would like to thank the distinguished Members of this House who have participated in this debate, and have broadly supported this particular amendment. I think that in the course of the debate, we have touched a wide variety of issues -- some of them, of course, dealing with these amendments, but others much beyond these amendments.

I just wish to make a general statement, by and large, generally dealing with the issues, and then I will come to particular contributions made by the distinguished Members.

If you really look at education in this country, we must realize that -- with the number of young people in this country -- we need to have a critical mass of people to go into the university system. That links up with the issue of Gross Enrolment Ratio (GER), which several distinguished Members have raised, including Shri Meghwal Ji. The difference between the developed world and the developing world is precisely this. In the developed world, the Gross Enrolment Ratio, on an average, is above 40, and in some of the developed countries, it is beyond 60. It means, out of every 100 students between the age group of 18 and 24, 60 students go to the university or the college. That Gross Enrolment Ratio in India, I would imagine as I speak, would be between 13 and 14 and not 12.6. That is the difference between development and an economy which is emerging.

This fits into the rationale of Right to Education Act. When you talk about universal elementary education, what you are trying to do is to push the students of that age group to go to school as a universal right. The Prime Minister the other day said from Lal Qila that 'we are trying to and thinking of giving this right or granting this right through Madhyamik Shiksha Abhiyan for children up to Class X. Now, if we are able to have universal education up to Class X, hopefully up to Class XII at a later point in time, you will have a huge availability of human resource that will move into the university system and increase that Gross Enrolment Ratio upwards.

That is why my dream is that by 2020 this Gross Enrolment Ratio goes from 13 per cent or14 per cent today to 30 per cent. Unless we reach that Gross Enrolment Ratio, we will not get that critical mass of human development that reaches the university system to

the creativity which is the only form of wealth of a nation. In the university system, you have creativity, knowledge and through that emerge patterns which then are translated by industry into goods and services. That is how the economy grows. So, our effort is really with that Vision. It is all very well to say that this is our Vision. How do you really translate it on the ground?

Now, the only way to translate it on the ground is do three or four things. Distinguished Members have raised this issue – how do you improve quality. You can have access and you can have inclusion, but if you do not have quality you will not have that creativity in the university system. So, quality involves faculty, and there must be an independent mechanism within the State or outside the State, to ensure that the institutions that have come up, institutions that are presently in existence and institutions that are likely to come up are institutions of quality.

It is with this in mind that we have the National Accreditation Regulatory Authority Bill, which Shri Mehtab Ji referred to, one of the four legislations that are coming. What we are trying to do through that is that no institution in India, private or public, will be able to move forward unless they get an accreditation from that Authority. That accreditation will be based on parameters which are objective and will be evolved by experts in the subject, not by the Government. So, it will be an agency independent of the Government which will evolve parameters for accrediting institutions. That is how we take care of quality in terms of infrastructure, in terms of faculty and in terms of syllabi. That is one aspect.

Some distinguished Members raised the issue that what about those institutions which are issuing misleading and false advertisement everyday. Dr. Thambidurai Ji, distinguished and very experienced Member of this House, has raised this issue and it is a very vital issue. All kinds of misleading in advertisements are being put in place today. Children are being fooled into entering an institution by giving wrong advertisements. They think that they got into the institution which was advertised and they realise that the reality is entirely different. All kinds of monies are charged under the table. It is with this in the mind that we are bringing the other legislation, Shri Mahtab ji has again referred to

मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हर स्टेट को पहले जांच लेना चाहिए कि वहां कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज़, मेडीकल कॉलेजेज़ और आर्कीटेक्चर कॉलेजेज़ की जरूरत है। जब वे जांचे तो उसी हिसाब से अनुमति मिलनी चाहिए। आपने बिलकुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन हो यह रहा है कि जब अनुमति मिलती है तो वह प्रोबलम हमारे ऊपर आ जाती है। अगर हम उसका रेगुलेटरी एआईसीटी परमिशन नहीं दें तो हमें कहा जाता है कि दखलअंदाजी एवं भेदभाव कर रहे हैं और अगर परमिशन दे तो आप दे क्यों रहे हैं, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। I am just trying to explain the issue now. I will deal with all the issues that distinguished Members have raised. The point is that you have to deal with those malpractices and you have to ensure quality and you have to ensure that a critical mass of young people move into the university system for the creation of knowledge. And in the process, a large number of disputes are going to come up because if you have an accreditation authority, you will have a malpractice mechanism to deal with the malpractiees. You have a large number of institutions because Shri Meghwal ji mentioned about this issue, जो निजी संस्थाएं हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, सरकार को बनानी चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं कि सरकार को बनानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार बनाना चाहे तो फिर इकोनोमिक ग्रोथ भी नौ प्रतिशत होनी चाहिए। उसके लिए आपको जीएसटी पास करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। जब ये काम होगा, हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वह पैसा मिलेगा और उस पैसे के साथ ज्यादा इनवेस्टमेंट होगी। हमारा ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में आठ-नौ प्रतिशत रहा, इसीलिए हमने 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीस और लगा दीं, आठ नयी आईआईटी कर दीं, सात आईआईएम्ज़ बना दिए, दस नई आईआईटीज़ बना दीं, ट्रिपल आईआईटीज़ कर दीं। ये हमने इसीलिए कीं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर थी। लेकिन सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती और सच्चाई यह है कि अगले दस सालों में अगर हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेश्यो 30 प्रतिशत तक पहुंच गया, आज के दिन 14 मिलियन बच्चे कॉलेज जाते हैं।

the Education Malpractices. This is defined as a malpractice. A misleading advertisement is defined in that Bill as a malpractice. So, we will able to deal with those institutions who give the misleading information.

At the moment, there is no legal framework in place. All kinds of malpractices including Capitation fees will be dealt under that. I am waiting for distinguished Members of this House to debate on this vital issue. We cannot wait because institutions are mushrooming. All kinds of permission are being given and NOCs are being given. These NOCs are not being given by Central Government. Distinguished Members raised the issue. Shri Raghuvansh Ji raised the issue. इतनी संस्थाएं बन रही हैं, इनका क्या होगा, क्या जरूरत है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमने यह कहा कि जरूरत ज्यादा है।

श्री कपिल सिब्बल : आपने यह कहा कि जरूरत ज्यादा है। लेकिन इसकी अनुमति केन्द्र सरकार नहीं देती, राज्य सरकारें देती हैं। केन्द्र सरकार नहीं कहती कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज़, एआईसीटी, रेगुलेटरी ऑथोरिटी हों, एक बार एनओसी मिल जाए, संस्था बन जाए तो फिर एआईसीटी के पास संस्था आती है, एप्लीकेशन लाती है और कहती है कि आप इसे रेगुलेट कीजिए।

15.00 hrs.

अगर 40-45 मिलियन बच्चे जाएंगे तो 30 मिलियन बच्चों के लिए हमें उच्च-शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। आप सोचो-अगर आज के दिन 560 यूनिवर्सिटीज़ 14 मिलियन बच्चों के लिए हैं तो 30 मिलियन बच्चों के लिए कितनी और यूनिवर्सिटीज़ चाहिए होंगी-लगभग एक हजार। क्या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार एक हजार यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कर सकती हैं, नहीं कर सकतीं।

ये बड़े गम्भीर मामले हैं, इसीलिए हम जो नीति अपनाने जा रहे हैं, उसमें हम आपकी सहमति चाहते हैं। आज मुझे आपसे बातचीत करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है, हम यही नीति अपनाने जा रहे हैं कि आप हमें...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसके बाद भी मौका मिलेगा।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: आप तो हमें हमेशा ही मौका देते रहेंगे।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक हजार उच्च-स्तर की संस्थाओं की हमें स्थापना करनी है तो उन्हें निजी लोग ही बनाएंगे। उसके लिए हमें एक्सपेंशन की जरूरत है। We must expand the education sector for the private sector to make more investment which means we must create an environment for more investment in the education sector. It also means that we must allow other institutions from outside also to invest in this country by way of twinning arrangements, by way of joint collaborations, by way of setting up independent universities. Unless we use all possible avenues for investment, we are not going to get the number of institutions of quality that we require to meet the demands of the public. It is because at that point in time young students are going to say that they are passing class 12^{th}, but where are the institutions to go to.

शैलेन्द्र जी, सामान्य शिक्षा के बारे में बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज़ किया, धनंजय जी, आपने बड़ा सही सवाल रेज़ किया। हम यही कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन मैं आपको बताऊं कि सारे स्टेट बोर्ड्स के साथ मैं खुद मीटिंग कर चुका हूं। हमने साइंस में एक कोर कैरीकुलम बनाया है और सारे स्टेट बोर्ड्स हमारे साथ हैं। वह कोर कैरीकुलम लागू हो रहा है, चाहे स्टेट बोर्ड्स हों, चाहे सैण्ट्रल बोर्ड हो, कहीं भी स्कूल हो, वह कोर कैरीकुलम ही पढ़ाया जायेगा। वैसा ही कोर कैरीकुलम कॉमर्स में बना है। वही कोर कैरीकुलम बनाया, जो आपने सवाल रेज़ किया और बिल्कुल सही रेज़ किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा, चाहे वह देहात में हो, चाहे वह एक अर्बन सैण्टर में हो, उसको अपोर्चुनिटी एक ही होनी चाहिए और जब तक समान रूप से शिक्षा नहीं मिलेगी तो अपोर्चुनिटी एक नहीं रहेगी। अभी हमने ह्यूमेनिटीज़ में यह नहीं किया, क्योंकि ह्यूमेनिटीज़ में थोड़ी डिफीकल्टी हैं, लेकिन साइंस और कॉमर्स में हम कर चुके हैं।

फिर हम क्या सोच रहे हैं, हमने कई और कमेटीज़ बनाई हैं। एक रामास्वामी कमेटी है, हमारे सैक्रेटरी साइंस और टैक्नोलोजी उसको हैड कर रहे हैं। He has prepared a Report after about a year's work. He has had extensive consultations throughout the country. That Report is suggesting a way forward in the context of the questions that have been raised by the distinguished Members of this House that there should be one examination in India for all students who want to enter into the university system. That examination should consist of two parts – one is the class 12th result and then an all-India examination covering every subject. It will be a kind of a SAT which does not test your domain knowledge, but tests your general attributes. Then you give a certain weightage to the class 12th marks and a certain weightage to that all-India test. Then you will have an all-India examination and each child would be entitled to choose the institution that he wants to go to on the basis of merit. There will be no capitation fee. We will remove that possibility of capitation fee because it will be an all-India examination. We intend, I hope, that we could have that examination for the first time in 2013. This is my attempt.

क्योंकि जब तक वह अवसर हमारे बच्चे को नहीं देंगे, तब तक ये बातें समाज में रहेंगी कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, मुझे 15 एग्जॉम्स देने पड़ते हैं, हर जगह मुझे फीस देनी पड़ती है। जब मैं फीस देता हूं, तो सिक्योरिटी डिपोजिट देना पड़ता है। जब मैं इम्तिहान नहीं दे पाता हूं और डिपाजिट वापस मांगता हूं कि मैं एग्जॉम नहीं दे पाया तो वे सिक्योरिटी डिपोजिट वापस नहीं करते। ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी। अगर आप एक ऑल इंडिया एग्जॉम बनायेंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान) इसमें सब आएंगे, सभी को इम्तिहान देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जहां-जहां भी टॉप मेरिटियस स्टूडेंट है, वह एक संस्था में जाना चाहेगा। ...(व्यवधान) उसकी च्वाइस होगी। जैसे ही नीचे जाएगा, तो उसकी च्वाइस कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी मेरिट कम है, लेकिन संस्था तो उसको भी मिलेगी।

DR. M. THAMBIDURAI : Why cannot you take the Plus Two marks into account?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am only telling you what we are thinking of doing. There is an Expert Committee that has been set up. Tamil Nadu takes only the Plus Two marks. But the problem with taking only the Plus Two marks is that you do not test the other attributes of the child. Therefore, we need to do that. That is why we are changing the methodology of teaching even in schools. We need to do that.

So, this is the vision that we have and this is how we are moving forward. If India is going to be at the centre of the world and have its rightful place in the comity of nations, it is only through education. There is no other way to do it. There will be issues like आपने एनआईटीज के बारे में कहा, पांडा जी ने भी कहा कि एनआईटीज में जब हमारा एडमीशन होता है तो लोकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है। एनआईटीज का यह है कि we have converted the engineering colleges into NITs. But the minimum State representation is 50 per cent. Those students in the State can also compete for the general quota, for the all-India seats. The minimum is 50 per cent, but if they compete for the all-India seats and they get their marks in the all-India list, they will be included. But of course the States can set up their own universities and give their preference to the students of the State.

जनार्दन स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बातें कहीं। ये बाहर पढ़े हुए हैं, बाहर यूएस में रहे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीडरशिप से मिलें और उनसे कहो कि हमारी जो लेजिस्लेचर्स है, आपका तो अनुभव बहुत अच्छा है। You have enormous experience and you know the positive aspects of the systems of education outside that we need to actually look at. So, the point you have raised is very valid. But this is of course only one aspect of the matter. The other aspect is the faculty, which distinguished Members have raised across the board. Bijuji has raised it. Puniyaji has made very valuable contribution.

Now the question is, we cannot create faculty overnight. If the expansion of the education sector has taken place at such a speed, it is impossible to create faculty overnight. So, what are we trying to do? I will share with you what we are trying to do. We have a scheme called the National Knowledge Network. The National Knowledge Network is going to connect every institution in this country through fibre optics, through an IT

network. That means a student who is studying in a college in one part of the country can actually take a lecture from a lecturer in another part of the country. We are going to connect every village with fibre optics in the next two years.

15.10 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

Every panchayat will be connected with fibre optics in the next two years, and then, with BWA to the home. How will that impact on education? Children will be able to receive lectures sitting where they are. ऐसी बात नहीं हैं। देखिए जहां बिजली नहीं वहां भी व्यवस्था होगी।

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

... (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : आपने इस बात पर प्रश्न उठाया क्योंकि आज मैं आईटी भी देख रहा हूं तो मैंने टेलिकॉम के लोगों को कहा कि टेलिकॉम टावर्स स्कूल के नजदिक लगे। इसमें कोई रेडिएशन की बात नहीं है। जब टेलिफोन टावर्स होंगे तो उनको चलना पड़ेगा और उनके पास एक्सट्रा पावर रहती है। वही पावर स्कूलों में इस्तेमाल होगी। चूंकि आपने सवाल उठाया है और हमारी जो सोच है, हम कोशिश कर रहे हैं, We cannot control this overnight. In the meantime, we have improved the conditions of teachers exponentially. जो पहले 30 हजार रूपये लेते थे अब 60 हजार रूपये ले रहे हैं। We have improved the conditions of teachers. Now, we have an Assistant Professor, an Associate Professor and a Professor. We give promotions; we are giving autonomy to institutions to appoint faculty. All these things are happening.

Shri Mahtab talked about the world class university. He is right; we had announced this programme sometime ago. But we have to make legislation in order to realize the dream of that world class university. We call such university as an university for innovation. That legislation has now been prepared. In fact, probably in the next few weeks, it is going to go to the Cabinet. That will be introduced. Once that Bill is introduced and passed, then the setting up of a university aiming at world-class standards will be a

reality. We are looking into all these aspects and working very hard on them. As you know, this is an area where even if we try, we cannot build the whole infrastructure of education throughout the country overnight. It cannot be built overnight. But our efforts are to move forward with a new vision. More important than that is the governance structure. That is even more important. आजकल के संस्थाओं में क्या होता है कि बाप चांसलर है, बेटा वाइस चांसलर है और परिवार संस्था चलाता है। यह रियलिटी है। इसको बदलना होगा। क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनलिज्म शिक्षा में नहीं लाएंगे तब तक आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? ये पुरानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो बनी हुई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटिज में आज एकेडेमिक काउंसिल है, इग्जेक्यूटिव काउंसिल है, शैलेन्द्र जी आप जानते हैं कि वहां क्या होता है? धनंजय जी भी इसे जानते हैं। अगर हम खुद जिस राज्य में हैं वहां पर गवर्नेस स्ट्रक्चर बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। यह केन्द्र सरकार नहीं कर सकती है। केन्द्र सरकार दखलअंदाजी भी नहीं कर सकती है और न हम करना चाहते हैं। यह साझेदारी हम आप के साथ चाहते हैं। यह साझेदारी आप करिए, भागिदारी करिए, आप जो भी चाहें उसके साथ हम खड़े होने को तैयार हैं। जो सुधार आप लाना चाहते हैं हम उसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की जो बात है उसमें सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा चलना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, मैंने जो पत्र दिया है उसका भी बता दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं अभी तो नहीं बता सकता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने रिजर्वेशन पर कुछ बोला था।

MR. CHAIRMAN: Stop this please.

श्री कपिल सिब्बल : अब कुछ दिल्ली की बात हुई कि रिजर्वेशन कट-ऑफ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : ऑल इंडिया की बात हुई। अध्यापकों की परीक्षा में रिजर्वेशन की बात हुई।

श्री कपिल सिब्बल : जहां तक अध्यापकों की परीक्षा की बात है तो जो एलिजबिलीटी टेस्ट पास करेंगे he will be entitled to teach. ...(व्यवधान) एलिजबिलीट टेस्ट जो पास करेगा उसको नौकरी मिलेगी। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please stop this debate.

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आज के दिन यह है कि जो पास करेगा उसे नौकरी मिलेगी। आप चाहते हैं कि on the basis of reservation उसका स्टैन्डर्ड कम किया जाए।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Dhananjay Singh, you may ask your question.

... (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : मैंने आपको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाइलाइट किया है, हमने दिल्ली यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर को बोला कि दिल्ली यूनीवर्सिटी में 27 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज़ को रिजर्वेशन मिलेगा और एक भी सीट जनरल कैटेगरी को नहीं जाएगी। हमने वाइस चांसलर को यह डायरैक्शन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमैंट हमारे पक्ष में दी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल : मैंने मोटे तौर पर आपके सामने सारी बातें रख दी हैं।...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं देख लेता हूं। अगर आपका सवाल कोई खास है तो मैं अभी उसका जवाब दे दूंगा।...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : मैंने सवाल किया था कि जो बड़े राज्य हैं...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपने कहा कि कि दो-दो संस्थाएं हों।...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : जहां उत्तर प्रदेश की आबादी बीस करोड़ है, हम वन फिफ्थ पौपुलेशन कवर करते हैं। वहां आपने एक एनआईटी दे रखा है।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : धनंजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आज आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारा पहला लक्ष्य यह था कि जहां एनआईटीज़ नहीं हैं, पहले वहां उनकी स्थापना करें। कई प्रदेशों, यूनियन टेरीटरी, नार्थ ईस्ट में एनआईटी नहीं थी। इसलिए हमारी सोच थी कि जहां नहीं है वहां पहले उनकी स्थापना करें। हमने दस एनआईटीज़ की स्थापना कर दी। जहां सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ नहीं हैं, वहां सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ की स्थापना करें। अगर कहीं आईआईटी है तो वहां आईआईएम नहीं हो और जहां आईआईएम है वहां आईआईटी न हो। इमने इस तरह एक इक्विटेबल सिस्टम बनाया था।...(व्यवधान)

आप जैसे ही हमारे साथ समर्थन करेंगे, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो, जीएसटी पास करेंगे...(व्यवधान) मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक रिफार्म्स की बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आप इनका समर्थन कीजिए। जितनी संस्थाएं चाहें, ले लीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, we all support the educational reforms.... (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : मैंने कहा था कि वित्त मंत्री जी को सपोर्ट कीजिए और जो चाहेंगे, वह मिलेगा।...(व्यवधान) मैं आश्वासन देता हूं।...(व्यवधान) इनके बिल्स में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

श्री कपिल सिब्बल : इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपने सुझाव दिए।...(व्यवधान) बिल पास करना है, साढ़े तीन बज जाएंगे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Janardhana Swamy, if you do not want to ask question, I will call another Member.

SHRI JANARDHANA SWAMY :While initiating the discussion I had asked some very specific questions. My main question was relating to the principle being followed with regard to naming the institutes. It is very confusing to name the new institutes as the Indian institutes of Science. The only difference I find in the name is we are adding 'Education and Research' to the new Indian Institutes of Science. This is actually creating confusion because it implies as if there is no education and research in the present Indian Institutes of Science.

SHRI KAPIL SIBBAL: Sir, the Title of the Bill is going to be changed in the following way. It is going to be called 'National Institutes of Technology, Science, Education and Research' and that is a part of the amendment.

SHRI JANARDHANA SWAMY : Sir, there are two things. One is NIT.... (*Interruptions*) Sir, my question has not been answered.... (*Interruptions*)

---

* Not recorded

श्री शैलेन्द्र कुमार :आप हमें प्रश्न पूछने दीजिए। यह परम्परा है।...(व्यवधान)

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Sir, the hon. Minister has not spoken about the backward region of the country. In my speech I had requested the hon. Minister to talk about the backward region and I would like to listen something from him about our programme with regard to the backward region.

SHRI KAPIL SIBBAL: Sir, if you look at the Central Universities that we have set up, whether it is in Koraput or Thiruvarur, these are all in the backward regions of India. So, as and when we set up more institutions those considerations will certainly be kept in mind. There is no question about it. This Government has always invested where the common man needs to benefit and we shall continue to do so.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत विद्वान मंत्री हैं। आपने बहुत एडवोकेट के तरीके से स्पीच दी और समझाने की कोशिश की। मैंने आपको जो पत्र दिया है, मेरे पास छात्रों का डेलीगेशन आया था, वह रिजल्ट सहित दिया है। आप उसे गंभीरता से देखते हुए कुछ न कुछ कदम उठाइये, क्योंकि यह रिजर्वेशन से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। यह आपके लॉ में भी है। आपके उस संविधान में भी है, जो आपने किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री कपिल सिब्बल : आपने हमारे सामने जो बात रखी है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to amend the National Institutes of Technology Act, 2007, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment

परिशिष्ट - दो

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5587

(जिसका उत्तर दिनांक 07.09.2011 को दिया गया)

प्रकाशन को लघु उद्योग क्षेत्र के अधीन लाया जाना

5587. श्री आर॰ थामराईसेलवन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रकाशन को लघु उद्योग क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रकाशन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने अपनी रिर्पोट दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई और सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबंधों के तहत प्रकाशन कार्यकलाप को सेवा कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके उपस्करों में निवेश के आधार पर सूक्ष्म लघु तथा मझौले उद्यमों को ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/अनुदेशों के अनुसार दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए वित्त व्यवस्था प्राथमिक सेक्टर के तहत वर्गीकृत की जाती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नयन नीति का एक व्यापक मसौदा तैयार करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नयन परिषद द्वारा दिनांक 5.2.2010 को गठित कार्यबल ने अपना अंतिम मसौदा प्रस्तुत कर दिया है और दिनांक 8 अगस्त, 2011 को आयोजित कार्यबल की अंतिम बैठक में इसे अनुमोदित कर दिया गया है। अंतिम रूप से तैयार राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नयन नीति के मसौदे को शीघ्र ही राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नयन परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

परिशिष्ट - तीन

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4175
उत्तर देने की तारीख: 19 दिसम्बर, 2012
28 अग्रहायण, 1934 (शक)

अध्ययन केन्द्र

4175. श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) पर अध्ययन हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से आवेदन मिले हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) आज की तारीख के अनुसार इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि संस्वीकृत/जारी/व्यय की गई?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
(डा. शशि थरूर)

(क): जी, हां। बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और पब्लिक आउटरीच (आईपीईआरपीओ) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के विकास और संवर्धन के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार पीठों की स्थापना की गई है।

(ख): सरकार ने पहले ही विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं में 20 मानव संसाधन विकास मंत्रालय बौद्धिक सम्पदा अधिकार पीठों की स्थापना की है। वर्ष 2012-13 के दौरान एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

(ग): बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और पब्लिक आउटरीच (आईपीईआरपीओ) स्कीम के अंतर्गत उद्दिष्ट 6.00 करोड़ रू. में से वर्ष 2012-13 में 1.91 करोड़ रू. की धनराशि 17 दिसम्बर, 2012 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय बौद्धिक सम्पदा अधिकार पीठों के लिए जारी की गई है।

****

परिशिष्ट - चार

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3783
(जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2013 को दिया गया)

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति

3783. **श्री किसनभाई वी॰ पटेल:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो नीति का ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को उक्त नीति में किस हद तक शामिल किया गया है; और

(च) राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ शशि थरूर): (क) से (घ) राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन समिति ने वर्ष 2010 में व्यापक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनाने के लिए बारह सदस्य कृतिक बल गठित किया है। कृतिक बल की मसौदा रिपोर्ट 07 जून, 2011 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 58वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी। प्रस्तावित राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति की मुख्य विशेषताओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए पुस्तकें संवर्धित करना है, ताकि बहुतायत में पुस्तकें उपलब्ध हों और वे हमारे देश के विभिन्न भागों में, यहां तक कि दूरस्थ स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों को भी सुलभ हो सकें। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को उच्च प्रौद्योगिकी की प्रगति के बारे में और पुस्तकों की दुनिया में उनके प्रभाव की जानकारी है। नीति में पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण परीक्षित क्षमताओं को बरकरार रखते हुए नई प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। तत्पश्चात् एनबीपीसी ने दिनांक 5 जनवरी, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में सुझाव दिया है कि मसौदा नीति को संशोधित किया जाना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों/केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के विभागों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण विद्यालय संस्थान सहित केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं से, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को अंतिम रूप देने से पहले सुझाव/टिप्पणियां मांगी हैं। इसके अतिरिक्त यह मसौदा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट में लेखकों, प्रकाशकों, सिविल सोसायटी संगठनों, अध्यापकों, छात्रों और माता-पिता इत्यादि का प्रत्युत्तर जानने के लिए भी डाली गई थी।

(ङ) मंत्रालय ने सभी स्थानों से 38 सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त की हैं और संगत सुझावों को उपर्युक्त नीति में शामिल किया गया है।

(च) मुख्य विषयों पर संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करने के पश्चात् नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परिशिष्ट – पांच

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 136

उत्तर देने की तारीख : 16 जुलाई, 2014

25 आषाढ़, 1936 (शक)

उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना

*136. श्री जगदम्बिका पालः

श्री रतन लाल कटारियाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और संस्था-वार कितने महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई;

(ख) इन संस्थाओं पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार ने नए उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्धारित स्थानों, बजट प्रावधानों और अन्य विहित निबंधन एवं शर्तों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है/कितनी उपयोग में लाई गई है और उक्त संस्थाओं को कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ङ.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना'' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जगदम्बिका पाल और श्री रतन लाल कटारिया द्वारा दिनांक 16.07.2014 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 136 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा एक भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) की स्थापना की है । इनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

अवस्थिति/राज्य	स्थापना वर्ष	व्ययित निधियां (वर्ष-वार) रूपए लाख में		
		2011-12	2012-13	2013-14
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)	2012	---	6850.00	---
भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी), शिवपुर, पश्चिम बंगाल	2014	---	---	आगामी 5 वर्ष के लिए 59220.0 लाख रूपए

इसके अतिरिक्त, निम्न ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक - निजी भागीदारी प्रणाली (पीपीपी) के तहत पाँच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना भी की गई:-

अवस्थिति/राज्य	स्थापना वर्ष	व्ययित निधियां (वर्ष-वार) रूपए लाख में		
		2011-12	2012-13	2013-14
चित्तूर, आंध्रप्रदेश	2013	---	---	---
गुवाहटी, असम	2013	---	---	500.00
वडोदरा, गुजरात	2013	---	---	280.00
कोटा, राजस्थान	2013	---	375.00	---
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	2013	---	---	500.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों एवं कालेजों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है ।

(ग) से (ङ.) जी, हां । आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, भारत सरकार आंध्र प्रदेश के परवर्ती राज्य में एक भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आईआईएम), एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं एक जनजातीय विश्वविद्यालय, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), एक पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएगी । अधिनियम के अनुसार तेलगांना राज्य में एक बागवानी विश्वविद्यालय एवं एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इन संस्थानों की अवस्थिति एवं बजटीय प्रावधानों के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण, 2014-15 में छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर तथा केरल में चार नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित करने की घोषणा की है । इनके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव किया गया है । पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है । असम एवं झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे दो उत्कृष्ट संस्थानों, राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय तथा हरियाणा में एक बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है । मध्यप्रदेश राज्य में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है । इन संस्थाओं की अवस्थिति एवं बजटीय प्रावधानों के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

राज्य कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुदान प्रदान करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया हो । तथापि, केन्द्र सरकार ने चिन्हित किए गए 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले में एक मॉडल डिग्री कालेज स्थापित करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया था । इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, पूंजीगत लागत को केन्द्र एवं राज्यों के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया था । विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु पूंजीगत लागत को 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा । इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, चिन्हित किए गए इन जिलों में 109 मॉडल डिग्री कालेजों की संस्वीकृति प्रदान की गई है । इस केन्द्र प्रायोजित योजना को अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) की नई केन्द्र प्रायोजित योजना में सम्मिलित कर दिया गया है । 31

संलग्नक

"उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जगदाम्बिका पाल एवं श्री रतन लाल कटारिया द्वारा दिनांक 16.07.2014 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक ।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कालेज			विश्वविद्यालय		
		2011-2012	2012-2013	2013-14 और 2014-2015	2011-12	2012-13	2013-14 और 2014-15
1	आंध्रप्रदेश	484	331	उपलब्ध नहीं	2	0	उपलब्ध नहीं
2	अरूणाचल प्रदेश	1	0	उपलब्ध नहीं	0	3	उपलब्ध नहीं
3	असम	0	64	उपलब्ध नहीं	2	2	उपलब्ध नहीं
4	बिहार	53	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
5	छत्तीसगढ़	40	15	उपलब्ध नहीं	3	1	उपलब्ध नहीं
6	गोवा	6	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
7	गुजरात	13	171	उपलब्ध नहीं	5	1	उपलब्ध नहीं
8	हरियाणा	74	16	उपलब्ध नहीं	1	3	उपलब्ध नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	4	1	उपलब्ध नहीं	2	3	उपलब्ध नहीं
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	48	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
11	झारखंड	0	8	उपलब्ध नहीं	2	0	उपलब्ध नहीं
12	कर्नाटक	292	84	उपलब्ध नहीं	3	0	उपलब्ध नहीं
13	केरल	0	187	उपलब्ध नहीं	3	0	उपलब्ध नहीं
14	मध्यप्रदेश	128	42	उपलब्ध नहीं	9	0	उपलब्ध नहीं
15	महाराष्ट्र	205	26	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
16	मणिपुर	4	5	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
17	मेघालय	5	0	उपलब्ध नहीं	2	0	उपलब्ध नहीं
18	मिजोरम	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
19	नागालैंड	3	2	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
20	ओडिशा	17	17	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
21	पंजाब	126	26	उपलब्ध नहीं	2	2	उपलब्ध नहीं
22	राजस्थान	341	38	उपलब्ध नहीं	9	7	उपलब्ध नहीं
23	सिक्किम	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
24	तमिलनाडु	143	195	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
25	त्रिपुरा	1	7	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं

26	उत्तर प्रदेश	581	347	उपलब्ध नहीं	3	2	उपलब्ध नहीं
27	उत्तराखंड	53	0	उपलब्ध नहीं	1	0	उपलब्ध नहीं
28	पश्चिम बंगाल	7	46	उपलब्ध नहीं	0	1	उपलब्ध नहीं
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
30	चंडीगढ़	2	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
31	लक्षद्वीप	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
32	दमन और द्वीप	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
33	दिल्ली	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
34	दादर और नगर हवेली	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
35	पुदुचेरी	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
कुल		2583	1676	-	49	25	-

परिशिष्ट - छह

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2941

उत्तर देने की तारीख: 30.07.2014

जेपीएनएनसीईएच की स्थापना

2941. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में जय प्रकाश नारायण नेशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस इन ह्यूमेनिटिज़ (जेपीएनएनसीईएच) की स्थापना की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जेपीएनएनसीईएच द्वारा कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाने की संभावना है;

(ख) क्या प्रस्तावित जेपीएनएनसीईएच ह्यूमेनिटिज़ के क्षेत्र में नए प्रकार का उच्च संस्थान है;

(ग) यदि हां, तो जेपीएनएनसीईएच की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार केरल सहित विभिन्न राज्यों में जेपीएनएनसीईएच की स्थापना करने का है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ड.): जी, हां। मध्य प्रदेश में लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की नई योजना हेतु केंद्रीय बजट, 2014 में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

****

परिशिष्ट - सात

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4799
उत्तर देने की तारीख : 22 अप्रैल, 2015
2 वैशाख, 1937 (शक)

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं

4799. श्री प्रहलाद सिंह पटेलः
श्री पी. करुणाकरनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में जांच यदि आदेशित की गई हो, की स्थिति क्या है; और

(घ) विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण को अधिक पारदर्शी और सहज बनाने के लिए रूप-रेखा तैयार करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क), (ख) और (ग): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सीबीआई ने डॉ. हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर और झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के विरूद्ध मामले दर्ज किए हैं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें, विश्वविद्यालय को उनकी ओर से उचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित कर दी गई हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय के बारे में शिकायत के संबंध में तथ्यान्वेषी समितियां गठित की गई थीं और उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं। विश्व भारती के संबंध में तथ्यान्वेषी समिति भी गठित की गई है।

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जो संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित किए गए हैं। वे इनके तहत बनाए गए अधिनियम और संविधियों और अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। इनकी भर्ती प्रक्रियाविधि इनके अधिनियम, संविधियों और नियमों के अनुसरण में उनके स्वायत्तता निकायों द्वारा तैयार की जाती है। अतः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास भर्ती प्रक्रियाओं को तैयार करने के संबंध में स्वायत्तता है, जो आरक्षण नीति आदि के कार्यान्वयन के लिए सरकार के नियमों के अध्यधीन है।

सरकार इन विश्वविद्यालयों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती तंत्र पर नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार सभी विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और शैक्षिक स्वायत्तता सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के राष्ट्रपति को, इन विश्वविद्यालयों के विजिटर की क्षमता में, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक या वित्त मामलों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में जांच करवाने का अधिकार है।

*****

परिशिष्ट - अठ

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 341

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2015

21 श्रावण, 1937 (शक)

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में कदाचार

***341. डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:**
श्री सातव राजीव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) में कुछ कदाचारों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में कथित कदाचारों की जांच कराने का निर्णय लिया है और इसके कार्यकरण की समीक्षा करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह जांच कब तक पूरी किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

19वां स्थान

"भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में कदाचार" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ और श्री सातव राजीव द्वारा दिनांक 12.08.2015 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 341 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): जी, हां। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) के कतिपय कदाचार लाए गए हैं और उन पर कार्रवाई विचाराधीन है।

भारत सरकार, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के 'संगम ज्ञापन' के नियम 15 तथा नियम 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जिनके अनुसार भारत सरकार को समस्या अथवा अनियमितता का निवारण करने संबंधी निदेश जारी करने के अधिकार होंगे और ये निदेश परिषद के अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी होंगे।

****

परिशिष्ट - औ

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2466
उत्तर देने की तारीखः 14.12.2015

संस्कृत भाषा का संवर्धन

2466. श्री महेश गिरीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत और भारतीय भाषाएं सीखने को संवर्धित करने के लिए एक समिति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) देश के सरकारी और निजी स्कूलों में संस्कृत भाषा के शिक्षण का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): राज्य विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं और संबंधित अधिनियम विधानों और अध्यादेश के तहत शासित हैं और वे शैक्षिक मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हैं। इस मंत्रालय ने संस्कृत के विकास के लिए दीर्घकालिक विजन और रोड-मैप पर सुझाव देने के लिए कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2015 को समिति का गठन किया है, जो गठन के तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देश में एक व्यापक भाषा नीति निर्धारित करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29.12.2014 को एक दूसरी भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति अपने गठन के एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): सभी राज्यों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में संस्कृत को कक्षा-VI में वैकल्पिक आधार पर शुरू किया गया है। इच्छुक छात्र अगले चार वर्षों अर्थात कक्षा-IX से XII तक संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं।

*****

परिशिष्ट - दस

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 19

उत्तर देने की तारीख : 25 अप्रैल, 2016

05 वैशाख, 1938 (शक)

गैर नेट अध्येतावृत्ति

19. श्री नाना पटोले:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम. फिल तथा पीएच.डी. छात्रों के लिए गैर-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अध्येतावृत्ति को बंद करने के बारे में की गई घोषणा का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के गुस्से तथा उनके द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध किए गए देशव्यापी प्रदर्शन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रदर्शन का समर्थन करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन तथा अन्य टीचर्स एसोसिएशनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को छात्रवृत्ति की धनराशि में वृद्धि करने के लिए किसी छात्र संगठन की कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या नेट के मुद्दे के साथ-साथ उक्त मांग पर विचार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): एम.फिल और पीएच.डी के लिए गैर-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट अध्येतावृत्तियों) को बंद नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मांक 07 अक्टूबर, 2015 को हुई अपनी 510वीं बैठक में दिशानिर्देश तैयार करने के साथ-

साथ गैर-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अध्येतावृत्ति को आगे बढ़ाने और योजना को समाप्त करने पर विचार करने के लिए अपनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया था। केन्द्र सरकार ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को यूजीसी को निदेश दिए थे कि गैर-नेट अध्येतावृत्ति को समाप्त करने संबंधी आयोग के निर्णय को कार्यान्वित ना किया जाए और नेट के साथ-साथ गैर-नेट की मौजूदा सभी अध्येतावृत्तियों को जारी रखा जाए। यह निर्णय लिया गया था कि गैर-नेट अध्येतावृत्तियों के तहत वर्तमान अवार्इस को कम ना किया जाए अपितु उन्हें बढ़ाया जाए और गैर-नेट अध्येतावृत्तियों के चयन, कवरेज, अवार्ड और प्रशासनिक संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं ताकि इन अध्येतावृत्तियों में बढ़ोतरी की जा सके।

सरकार ने यूजीसी द्वारा नेट और गैर-नेट अध्येतावृत्तियों दोनों के लिए प्रदान की जा रही अनुसंधान अध्येतावृत्तियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी के पूर्व निदेशक, प्रो. गौतम बरूआ की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर, 2015 को एक समिति नियुक्त की थी। समिति के विवरण http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ReviewUGCFellowships.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ग): सरकार द्वारा अध्यापक संघ के विरूद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ) और (ड.): प्रोफेसर गौतम बरूआ की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ विषयों में चयन, कवरेज, अवार्ड और प्रशासनिक संचालन के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश शामिल है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

******

परिशिष्ट - ग्यारह

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1243
उत्तर देने की तारीख : 2 मई, 2016
12 वैशाख, 1938 (शक)

गैर-नेट अध्येतावृत्ति

1243. **श्री धनंजय महाडीक:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री सोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्री राजीव सातवः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री पी. करुणाकरनः
श्री मोहम्मद सलीमः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) छात्रवृत्ति प्राप्त की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान यूजीसी द्वारा कितनी कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) छात्रवृत्ति वितरित की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में यूजीसी-जेआरएफ अध्येताओं की कुल संख्या की तुलना में कुल कितनी छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि विगत आठ महीनों के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शोधर्थी गैर-नेट अध्येतावृत्ति अनुदान में वृद्धि की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2013-14	4391
2014-15	8728
2015-16	17741

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान यूजीसी द्वारा वितरित कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों (जेआरएफ)/ वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों (एसआरएफ) की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	यूजीसी द्वारा वितरित जेआरएफ/एसआरएफ की संख्या
2013-14	29812
2014-15	41183
2015-16	54120

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान यूजीसी द्वारा वितरित जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्तियों की संख्या की तुलना में यूजीसी जेआरएफ/एसआरएफ अध्येताओं की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	यूजीसी द्वारा वितरित जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्तियों की संख्या	जेआरएफ/एसआरएफ अध्येताओं की संख्या
2013-14	29812	34663
2014-15	41183	46421
2015-16	54120	58838

(घ): यूजीसी को ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ मामलों में (i) उम्मीदवार द्वारा विलंब से प्रवेश लेने, (ii) बैंक शाखाओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब, (iii) दस्तावेजों को अपलोड करने में विलंब, (iv) पीएफएमएस में तकनीकी समस्याओं के कारण, संवितरण में विलंब हुआ हो सकता है।

(ङ.): यूजीसी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्येताओं से गैर-नेट अध्येता अनुदान में वृद्धि करने की मांगें प्राप्त की हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने मुद्दों की जांच हेतु प्रोफेसर गौतम बरूआ की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की है।

*****

परिशिष्ट - बारह

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1351
उत्तर देने की तारीखः 02.05.2016

एआईसीटीई का कार्यकरण

1351. श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः
श्री नारामल्ली शिवप्रसादः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के कार्यकरण के तरीकों एवं साधनों के संबंध में अध्ययन करने एवं सुझाव करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने एआईसीटीई के कार्यकरण के ब्यौरों के अध्ययन तथा भावी चुनौतियों का सामना करने एवं उच्च तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए वर्ष 2014 में श्री एम. के. काव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था; और

(घ) समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं तथा इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग) : जी, हां। एआईसीटीई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक बेहतर निष्पादन हेतु एआईसीटीई की पुन:संरचना तथा पुनर्गठन का सुझाव देने एवं एआईसीटीई अधिनियम, 1987 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में संशोधन का सुझाव देने के लिए श्री एम.के.काव, सेवा निवृत्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एआईसीटीई समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति ने कई बैठकें आयोजित कीं और विभिन्न प्राधिकारियों/हितधारकों/आम लोगों से परामर्श किया। तथ्यों और मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् समिति ने दिनांक 12.06.2015 को मंत्रालय में 'भारत में तकनीकी शिक्षा: भावी परिदृश्य' शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) : एआईसीटीई के सुदृढ़ीकरण हेतु समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

i. एआईसीटीई को संवैधानिक स्वायत्त शीर्षस्थ प्राधिकरण में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

ii. एआईसीटीई नियामक निकाय के बजाय सुविधा प्रदान करने वाली, परामर्शी एजेन्सी के रूप में कार्य करे।

iii. एआईसीटीई को अनुसंधान, नवाचार, बिजनेस स्टार्टअप और पेटेंट पर ध्यान देना चाहिए।

iv. विनियम के आलम्ब के तौर पर तीसरी पार्टी रेटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। मानकों का उपयोग वास्तविक इनपुट पर बल देने के बजाय परिणामों को मापने के लिए किया जाना चाहिए।

v. एआईसीटीई को उच्च तकनीकी संस्थाओं की वरिष्ठ फैकल्टी की सहायता से निम्न स्तर वाली तकनीकी संस्थाओं की कार्यशैली में सुधार करना चाहिए।

vi. अवर स्नातक छात्रों के लिए उद्योगों में जॉब ट्रेनिंग पर इंटर्नशिप का प्रावधान होना चाहिए।

vii. प्रत्यायन एजेन्सियों को मान्यता देने के अधिकार के साथ राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को एकछत्र प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए।

viii. एक ऐसी राष्ट्रीय परीक्षण सेवा होनी चाहिए जो इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा और प्रबंध पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करे। जीएटीई जैसे एक्जिट टैस्ट को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए।

ix. एआईसीटीई के पास स्थायी जनशक्ति होनी चाहिए और उद्योग जगत से अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना चाहिए।

x. प्रत्यायन को एक दशक के भीतर समाप्त कर दिया जाना चाहिए और एआईसीटीई को तकनीकी संस्थाओं को विनियमित, मेन्टर और विकसित करना चाहिए।

xi. एमओओसी जैसी सूचना प्रौद्योगिकी और उभरती हुई अन्य मिलीजुली अधिगम प्रणालियों की सहायता से दूरस्थ और आजीवन शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

xii. संस्थाओं के मध्य क्रेडिट स्थानांतरण के जरिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।

xiii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एआईसीटीई को निधियों के योजनागत आबंटन में वृद्धि की जानी चाहिए।

xiv. एआईसीटीई का लक्ष्य भारत को अगले दशक तक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना होना चाहिए।

एआईसीटीई समीक्षा समिति की सिफारिशों पर दिनांक 18.6.2015 को विशेषज्ञों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। समीक्षा समिति की रिपोर्ट सहित विशेषज्ञों की राय/टिप्पणियां भी जनसाधारण की टिप्पणियों हेतु वेबसाइट पर रखी गई थीं। विशेषज्ञों, हितधारकों और जन साधारण से प्राप्त राय के आधार पर समीक्षा समिति की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है।

परिशिष्ट - तेरह

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 101
उत्तर देने की तारीख: 25.07.2016
3 श्रावण, 1938 (शक)

विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

*101. श्री एस. राजेन्द्रनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में जारी की गई उच्चतर शिक्षा विश्व रैंकिंग 2015-16 में अभियांत्रिकी, चिकित्सा,
विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि में भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कितनी है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली के स्तर का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"विश्वविद्यालयों की रैंकिंग" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एस. राजेन्द्रन द्वारा 25.07.2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : शैक्षिक वर्ष 2015-16 के लिए टाइम्स उच्चतर शिक्षा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष 800 संस्थाओं में 17 भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है। इसका ब्यौरा संलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) : सरकार का प्रयास देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का रहा है जिससे प्रमुख भारतीय संस्थाएं विश्व के शीर्ष संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

(ग) : भारतीय विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और कुछ नया करने की क्षमता पर विदेशी विश्वविद्यालयों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

(घ) : सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुस्वीकृत है और यह सतत् प्रक्रिया है। देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं नामत: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), शैक्षिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल (जीआईएएन), अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (आईएमपीआरआईएनटी), तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी), पंडित मदनमोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), आकांक्षी युवा मानस के लिए सक्रिय अध्ययन का अध्ययन वेब (एसडब्ल्यूएवायएएम), राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, परिसर संयोजक कार्यक्रम, उच्चतर आविष्कार अभियान और उन्नत भारत अभियान कार्यान्वित की जा रही हैं। उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा अनेक पहलें भी की गई हैं। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) दिनांक 29 सितंबर, 2015 को प्रारंभ किया गया। प्रथम भारतीय रैंकिंग, 2016, दिनांक 04.04.2016 को घोषित की गई और यह https://www.nirfindia.org/Home पर उपलब्ध है।

*****

संलग्नक-I

"विश्वविद्यालयों की रैंकिंग" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एस. राजेन्द्रन द्वारा 25.07.2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

रैंक	विश्वविद्यालय/संस्थान
251-300	भारतीय विज्ञान संस्थान
351-400	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
401-500	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
401-500	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
401-500	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
501-600	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
501-600	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
501-600	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
501-600	जादवपुर विश्वविद्यालय
501-600	पंजाब विश्वविद्यालय
601-800	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
601-800	अमृता विश्वविद्यालय
601-800	आंध्र विश्वविद्यालय
601-800	बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी
601-800	कलकत्ता विश्वविद्यालय
601-800	दिल्ली विश्वविद्यालय
601-800	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय

*****

11.05 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now the Question Hour. Question No. 101. Shri S. Rajendran.

... (*Interruptions*)

(Q. 101)

SHRI S. RAJENDRAN: Madam Speaker, recently, as you are aware, 40 students out of 60 Indian students at Western Kentucky University in the US did not meet the requirements of their admission; 25 students who lack coding skills have been asked by the University to return home or find some other university. While the students of other countries were able to do well, our Indian students were unable to perform. To the best of my knowledge, most of the engineering colleges are not teaching the software programme in detail.

So, I would like to know whether the Government has any action plan to improve the teaching system in the current year to avoid such incidences in future.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, this is a very important question as far as higher education centres are concerned. The quality of higher education is an issue, importantly, and teaching also. So, we have already taken up a new initiative of teaching improvement and for teachers, professors, continuous education updation and then filling up of all the vacancies. Even in private colleges, I now regularly monitor. Therefore, quality improvement is continuously done by AICTE because that is the body which oversees all the quality aspects of the higher education and there is a continuous endeavour to improve the quality.

SHRI S. RAJENDRAN: In the reply, the hon. Minister has said that improving the quality of education is a continuous and ongoing process. He has mentioned about several central schemes only. I would like to know whether there is any action plan within the given period of two or three years that can show the quality of education in the country.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: This is again an important issue. We have taken several steps, and particularly, our Prime Minister is very much concerned about how to improve the quality at higher education level because that is the final product we get. Therefore, there is a Scheme called IMPRINT. In IMPRINT, we can go up to Rs. 1,000 crore in 10 sectors of health, energy security, rural-urban housing, nano technology, water/river system, advanced materials and all other 10 important themes. We received more than 2,000 research proposals and already final evaluation of 483 projects is being done. We will give them the grants. It will continue for the next two-three years.

There is the *Uchhatar Avishkar Abhiyan*, that is, in IITs there has been an industry and education interaction. Therefore, those industries who want some research to be done to improve their own productivity, we are asking them to give their requirements. The students from IITs and the research scholars, under the guidance of faculties, will do it. So, industry will contribute 25 per cent; HRD will contribute 50 per cent, and 25 per cent of the research projects so taken will be done by the Department concerned.

There is a start-up initiative also. The incubation centre initiative is also there. There is a gap. The world is one now. Therefore, good faculties from our country go to foreign universities to teach and similarly, we welcome foreign university faculties, if they are interested to come. We have already 643 faculties approved to carry out courses right from four weeks to eight weeks and 200 faculties have come and have completed the courses under the GIAN Scheme and that has become more popular now and we have also recorded their classes so that they will always available to other students also.

Last but not least, we are doing now the ranking framework. The original question was about ranking. So, world ranking is one thing. But we are also doing ranking on our own and national ranking has got good appreciation from all corners and that will guide the students to go abroad for quality education. Some new initiatives like I am using television, online courses, anytime education, anywhere

education, open learning systems - all these will be scaled up to a level matching the world quality requirements. Therefore, all these efforts are in the direction of improving quality.

श्री ओम बिरला: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना .चाहता हूं कि इंडिया इकोनामिक फोरम ने लक्ष्य रखा था कि भारत में कम से कम दस विश्वविद्यालय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वस्तरीय बनाने का प्रयास करेंगे। हमने यह भी लक्ष्य रखा था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सहायता निर्बाध रूप से उपलब्ध कराकर विश्वस्तरीय संस्थाएं बनाने में कामयाब होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मत है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में अभी सरकार ने क्या प्रगति की है? अगर विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में चयन किया गया है तो इस बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। अभी तक जो भी प्रगति की है, उसके बारे में भी बताने का कष्ट करें।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, 20 विश्वस्तरीय इंस्टीट्यूट्स तैयार हैं। आज भी आईआईटीज़, एनआईआईटीज़, आईआईएसईआर और सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्लेस आफ प्राइड हैं। हमारे देश के क्रीम आफ द क्रीम स्टूडेंट्स विदेश में जाकर पढ़ते हैं और वहीं काम करते हैं। उन्हें यहीं अवसर मिले, इसके लिए हमने यह तय किया है और इसका पूरा खाका बन गया है। इसके बारे में कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद सबको बताया जाएगा। इस पर काम बहुत हुआ है, दस निजी और सरकारी संस्थान ऐसे बनेंगे, जो विश्व स्तर के हों और इनमें भारतीय छात्रों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, यह सैंटर आफ एक्सीलेंसिस तैयार करने की प्रक्रिया का ही एक भाग है।

PROF. SUGATA BOSE: It is sad to read the Annexure that has been provided by the hon. Minister as a part of his reply. There are no institutions of higher education in India that figure in the top 250 of the list and there are no Universities that figure in the top 500 of the list that he has provided. It is a matter of only small satisfaction for me that the University that figures at the top as it were is the Jadavpur University from West Bengal which is in the 500 to 600 range of the world rankings of the Times higher education supplement.

Of course, it will not be right only to bemoan the fact that we do not figure on this list but we have to devise a proper strategy to make sure that our institutions of higher education are globally competitive. I want to ask a very specific question.

Five months ago, in his Budget Speech, the Finance Minister had declared that the Government was going to set up an enabling regulatory architecture for the emergence of 10 public and 10 private institutions as world class centres of excellence in teaching and research. What specific progress has been made to set up such an enabling architecture and what criteria will the Government use to select these 20 institutions? Will they pay attention to State universities which are poorly funded and yet they do better than many Central universities? We have Jadavpur University and University of Calcutta in the top 800 institutions of the list that you have provided. They are State universities and not Central universities. So, will you pay special attention to State universities when you select these top 20 institutions for global competitiveness?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Prof. Sugata Bose has raised the very important issue of world class institutes. This is a new initiative to create new centres of excellence, and we have already prepared for it because the central question again is, whether you make them part of the UGC regulation or you give that freedom what makes the institute the best. Therefore, we have deliberated on that. We have now created our own proposal. After the Inter-Ministerial consultation, it is now on the way to the Cabinet. So, once that is approved, we will give all the details to you also. But as you rightly said, the State universities are also there. As you said, there is Jadavpur University, Panjab University, Aligarh Muslim University, Amrita University, Andhra University, University of Caleutta, University of Delhi, and Savitribai Phule Pune University. They are all in these 800 institutes. But we want them to be on the top rank. So, my answer to the original question is that we will take the help of those who have taught in foreign universities also because, as you rightly said, we have to strategize. However, the universities perform the best in many fields but not so in perception because perception carries a lot of weightage in ranking at the international THE World University Rankings or other rankings. QS. They have to find out a place in perception also, and there we need to strategize. We have so much of big Diaspora. We have so many avenues available. We are thinking

out of the box solution to increase our perception of how far our universities are able to get their due recognition in international rankings also.

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam, very recently I have read it in a newspaper that the HRD Ministry is framing a 'Brain Gain' policy to lure academics back. Is the Government planning or has it designed any policy by relaxing the conditions and regulations for recruitment of these professionals who are now teaching abroad?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: First, as I have narrated earlier that GIAN is a very good initiative to bring good foreign teachers, and particularly the Indian teachers who are teaching abroad. We can bring them for this course here. We have succeeded. More than 600 proposals are sanctioned and 200 have already come. They gave the lectures, completed the course and the students are very happy. That is the real gain. But, as you are asking, this morning only I have discussed this with my officials as to how we can bring back the talented youngsters as Assistant Professors in our top universities, and on how to attach them. We have some ideas and we are working on those ideas after completing the structure of how we will gain. But we certainly approve this idea of the 'Brain Gain' policy. The Chinese have done it successfully. We will also do it successfully.

HON. SPEAKER: Q. 102, Shri Vijaysinh Shankarro Mohite Patil – Not present.

Shri M.B. Rajesh.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Hon. Chairperson, I am very happy that so many speakers have spoken their minds and have given valuable suggestions. Kumari Sushmita Dev, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Shri Mahto, Shri Prabhash Kumar Singh, Shri M. Srinivas Rao, Shri P.K. Biju, Shri Manoj Tiwari, Shri Kaushalendra Kumar, Shri N.K. Premachandran, Shri Nihal Chand, Shri Sher Singh Ghubaya, Shri Hukum Singh, Shri Sirajuddin Ajmal etc. have contributed immensely to the discussion on this National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

16.32 hours (Shri Pralhad Joshi *in the Chair)*

Hon. Members have raised a number of issues. Some of them are local issues. On local issues, I will inform the hon. Members in writing about the status and what we are doing. But there are bigger issues also. The main issue is the quality of education and that is very important कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। मानो सब ज़गह एक गुणोत्सव हों। उसके लिए चार इनिशिएटिव्स बने हैं। मैं केवल अभी उनका उल्लेख करूंगा।

पहला इनिशिएटिव 'हायर एजुकेशन फाइनैंस एजेंसी' है। इस बजट में उसे 250 करोड़ रुपये दिए हैं। कुल मिलाकर उसके लिए दो हजार करोड़ रुपये का बजटरी सपोर्ट आएगा और दो हजार करोड़ रुपये के बजटरी सपोर्ट से 'हायर एजुकेशन फाइनैंस एजेंसी' अब ऑपरेशनल हो गयी है। केनरा बैंक उसकी एजेंसी बन गयी है और वह डैट इंस्ट्रूमेंट्स से, बाज़ार से पैसा खड़ा करेगी और आने वाले तीन सालों में बीस हजार करोड़ रुपए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगाने की योजना है। यह योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे मूलतः रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी में केवल बाग-बगीचे बने, इसके लिए नहीं है, बल्कि वहां रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ बढ़े, एकैडिमीज़ फैसिलिटीज़ बढ़े, उसके लिए इस पैसे का उपयोग होगा, ताकि जो काम दस सालों के बजट में आएगा, वह तीन सालों में कैसे पूरा हो, इसके लिए इसमें प्राथमिकता दी गयी है।

परिशिष्ट - पंद्रह

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 4

उत्तर देने की तारीखः 17.07.2017

अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय

*4. श्री धर्मवीरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार का वर्ष 2018 के दौरान देश में पांच नए अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार हरियाणा के मेवात क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उक्त एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों के संबंध में श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 17.07.2017 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 4 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जी, नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ) की आम सभा ने दिनांक 29.12.2016 को आयोजित अपनी 52वीं आम सभा बैठक में देश के विभिन्न भागों में पांच संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए एमएईएफ द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान, वास्तु कला आयोजना एवं डिजाइन, पर्यावरण परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में 5 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की सिफारिश करते हुए दिनांक 06.07.2017 को अपनी रिपोर्ट एमएईएफ को प्रस्तुत कर दी है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

******

परिशिष्ट - सोलह

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नभसंख्या: 4947

उत्तर देने की तारीख: 26.03.2018

अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

4947. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खानः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत/निर्धारित संख्या के विरुद्ध मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन शैक्षिक संस्थानों में प्रत्येक वेतनमान में स्थायी , अस्थायी और अतिथि हैसियत के शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ की वार्षिक स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक वेतनमान में इन कार्मिकों को वेतन देने में कुल कितना व्यय आएगा;

(ग) इनमें से प्रत्येक वेतनमान में कार्यरत अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्गों (अ.पि.व.) के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है; और

(घ) अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के देय और वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच यदि कोई अंतर है तो उसके क्या कारण हैं और उन पर किए गए प्रति उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्य पाल सिंह)

(क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

*****

परिशिष्ट - सत्रह

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1974

उत्तर देने की तारीख: 30.07.2018

डिग्री पाठ्यक्रम

1974. **श्री ओम प्रकाश यादवः**
श्रीमती संतोष अहलावतः
श्री आर. ध्रुवनारायणः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में आगामी सत्र से विद्यार्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो आगामी सत्र से राजस्थान सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अलग से बजट प्रावधान किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्य पाल सिंह)

(क) से (घ) : बी.ए. (व्यावसायिक), बी.एससी (व्यावसायिक) और बी.कॉम (व्यावसायिक) शुरू करने का मामला विचाराधीन है।

*****

परिशिष्ट – अठारह

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2015
उत्तर देने की तारीखः 30.07.2018

डिग्री पाठ्यक्रम

2015. श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
डॉ. रामशंकर कठेरियाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आगामी सत्र से विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम देश के सभी राज्यों में आरंभ किए जायेंगे;
(घ) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां इन डिग्री पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने की संभावना है;
(ङ) क्या सरकार ने व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम हेतु पृथक बजट का उपबंध किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सत्य पाल सिंह)

(क) से (च): बी.ए. (व्यावसायिक), बी.एससी. (व्यावसायिक) और बी. कॉम. (व्यावसायिक) आरंभ करने संबंधी मामला विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय से उद्धरण।

अध्याय–8

आश्वासन

परिभाषा

8.1 प्रश्न का उत्तर देते समय या चर्चा के दौरान यदि मंत्री सरकार की ओर से आगे कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को फिर से सूचित करने का वचन देता है तो उसे "आश्वासन" कहा जाता है। सामान्यतः जो कथन आश्बासन मान लिए जाते हैं उनकी एक मानक सूची अनुबंध–3 में दी गई है। यह मानक सूची लोक सभा और राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (सीजीए) द्वारा अनुमोदित है। चूंकि आश्वासनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना अपेक्षित होता है इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रश्नों के उत्तरों का प्रारूप तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कथनों का प्रयोग केवल ऐसे अवसरों पर किया जाए जबकि इन कथनों द्वारा सदन के समक्ष स्पष्टतः कोई आश्वासन देने का इरादा हो।

आश्वासन को पूरा करने की समय–सीमा

8.2 दोनों सदनों में से किसी भी सदन में दिया गया आश्वासन, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है। इस समय सीमा का पूरी तरह से पालन किया जाए।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ.ए.एम.एस.)

8.3 आश्वासनों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने के लिए सदन की कार्यवाहियों से आश्वासनों को छांटने से लेकर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक तथा समय सीमा बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक "ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम" (ओ.ए.एम.एस.) नामक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए स्वचालित बना दिया गया है। किसी अन्य ऑफलाइन तरीके से समय सीमा को बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने के लिए किए गए निवेदन या कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रस्तुति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आश्वासनों को छांटना

8.4 जब कोई आश्वासन किसी मंत्री ने दिया हो अथवा पीठासीन अधिकारी ने सदन को कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए सरकार को निर्देश दिया हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित कार्यवाही से आश्वासनों को छांट लेता है और जिस तारीख को सदन के समक्ष वह आश्वासन दिया गया हो, उससे सामान्यतः 20 दिन के भीतर ओ.ए.एम. एस के जरिए संबंधित विभाग को ऑनलाइन सूचित कर देता है।

आश्वासनों की सूची से निकाल देना

8.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को ऐसे किसी वक्तव्य को आश्वासन मानने में आपत्ति हो या वह महसूस करे कि सार्वजनिक हित में आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा सकती हो, तो वह इस प्रकार के वक्तव्य को आश्वासन माने जाने के एक सप्ताह के भीतर ही इसको आश्वासनों की सूची से हटा देने का अपना निवेदन 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड कर सकता है। ऐसे निवेदनों को उनके मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और उक्त निवेदन वाले उनके पत्र में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा निवेदन 3 मास की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के करीब किया जाता है तो, उक्त निवेदन में समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन भी अवश्य ही साथ में होना चाहिए। जब तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का कोई निर्णय ओ.ए.एम.एस. के माध्यम से उन्हें प्राप्त न हो जाए, तब तक विभाग को समय–सीमा बढ़वाने का निवेदन करते रहना चाहिए। ऑफलाइन तरीके से प्राप्त निवेदनों पर राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय या संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

आश्वासनों को पूरा करने की समय–सीमा बढ़ाना

8.6 यदि विभाग यह अनुभव करे कि आश्वासन तीन महीने की निर्धारित अवधि अथवा पहले ही बढ़ाई जा चुकी अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो वह समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होते ही समय बढ़वाने के लिए लिए निवेदन करेगा जिसमें देरी के कारण, संभावित अतिरिक्त समय तथा इस मामले में की गई कार्रवाई तथा प्रगति का उल्लेख किया जाएगा। इस आशय के सभी निवेदन संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेकर सीजीए के निर्णय के लिए 'ओ.ए.एम.एस' पर किए जाने चाहिए।

आश्वासनों का रजिस्टर

8.7.1 प्रत्येक आश्वासन के ब्यौरे, संबंधित मंत्रालय/विभाग के संसद एकक द्वारा अनुबंध–4 में दिए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और इसके पश्चात् आश्वासन संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाएगा

8.7.2 इस प्रकार के आश्वासनों को पूरा करने की कार्रवाई प्रत्येक अनुभाग द्वारा शीघ्रता से यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्रालय से 'ओ. ए.एम.एस' द्वारा पत्रादि प्राप्त होने से पूर्व ही कर ली जानी चाहिए और आश्वासनों की पूर्ति पर अनुबंध–5 में दिए गए रजिस्टर के माध्यम से निगरानी रखी जानी चाहिए।

8.7.3 लोक सभा और राज्य सभा के आश्वासनों के लिए पैरा 8.7.1 तथा पैरा 8.7.2 में उल्लेख किए गए अनुसार अलग–अलग रजिस्टर बनाए जाएंगें और उनमें सत्रवार प्रविष्टियां की जाएंगी।

अनुभाग अधिकारी और शाखा अधिकारी की भूमिका

संबंधित अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारीः–

(क) रजिस्टरों की सप्ताह में एक बार छानबीन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए;

(ग) यदि संबंधित सदन का सत्र चल रहा हो, तो पखवाड़े में एक बार अन्यथा महीने में एक बार इन रजिस्टरों को शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसका ध्यान ऐसे आश्वासनों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करेगा जिनके तीन महीने के भीतर पूरे होने की संभावना नहीं है; और

(घ) लंबित आश्वासनों की समय–समय पर उच्चतम स्तर पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि आश्वासनों का जल्द से जल्द कार्यान्वयन किया जा सके।

8.8 इसी प्रकार शाखा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों और मंत्री को आश्वासनों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति के बारे में लगातार अवगत कराएगा और विलंब के कारणों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करेगा ।

आश्वासन को पूरा करने की प्रक्रिया

8.9.1 आश्वासन को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यदि सूचना का केवल कुछ अंश ही उपलब्ध हो और शेष सूचना को एकत्र करने में काफी समय लग सकता हो, तो एक कार्यान्वयन रिपोर्ट (आई आर) निर्धारित समय के भीतर आश्वासन के आंशिक कार्यान्वयन के तौर पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर अपलोड कर दी जानी चाहिए। लेकिन आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए शेष सूचना को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए।

8.9.2 किसी आश्वासन को पूरा करने के संबंध में भेजी जाने वाली आंशिक या पूर्ण सूचना के अनुबंध–6 में उल्लिखित निर्धारित फार्म में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए पाठ और अनुलग्नकों को संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ही 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड करवाया जाना चाहिए। आश्वासन को यथास्थिति आंशिक या पूर्णरूप से पूरा करने संबंधी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उसके अंग्रेजी और हिन्दी पाठ में से प्रत्येक की 4–4 हार्ड प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिनमें से एक हिन्दी प्रति और एक अंग्रेजी प्रति संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होनी चाहिए। संबंधित सदन द्वारा ई–रिपोर्ट स्वीकार किए जाने तक इन प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

8.9.3 कार्यान्वयन रिपोर्ट को केवल 'ओ.ए.एम.एस' पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी अन्य तरीके से भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट अथवा राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को सीधे भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना

8.10 कार्यान्वयन रिपोर्ट की छानबीन करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्रालय उसे संबंधित सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था करेगा। यह मंत्रालय सदन के पटल पर रखी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सदस्य (सदस्यों)को भेजेगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा दी कार्यान्वयन रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग का संसद एकक तथा संबंधित अनुभाग 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध विवरण के आधार पर अपने–अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

सदन के पटल पर किसी विषय से संबंधित दस्तावेज रखने का दायित्व बनाम उसी विषय पर दिया गया आश्वासन

8.11 जिन मामलों में दस्तावेज (नियम/आदेश/अधिसूचना आदि) सदन के पटल पर रखा जाना बाध्यकारी हो और जिसके लिए आश्वासन भी दे दिया गया हो, तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए पहले दस्तावेज को सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसका दिए गए आश्वासन से कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद आश्वासन को पूरा किए जाने के संबंध में एक औपचारिक रिपोर्ट, सभा पटल पर दस्तावेज रखे जाने की तारीख का उल्लेख करते हुए, 'ओ.ए.एम.एस' पर (अनुबंध–6 में) निर्धारित फार्म में पैरा 8.9.2 में पहले ही बताए अनुसार अपलोड कर दी जाएगी।

सरकारी आश्वासनों पर समितियां

राज्य सभा नियम 211(क)

लोक सभा नियम 323, 324 और

8.12 संसद के प्रत्येक सदन में सरकारी आश्वासनों की एक समिति होती है जिसे सभापति/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति कार्यान्वयन रिपोर्टों और सरकारी आश्वासनों की पूर्ति में लगे समय की छानबीन करती है और उनके संबंध में हुई देरी के कारणों और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर, यदि कोई हो, ध्यान आकर्षित करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर जारी किए गए अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए ।

सरकारी आश्वासनों पर समितियों की रिपोर्ट

8.13 मंत्रालय/विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करके जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन दोनों समितियों की रिपोर्टों की छानबीन करेंगे ।

लोक सभा भंग होने का आश्वासनों पर प्रभाव

8.14 लोक सभा भंग होने पर कार्यान्वयन के लिए लंबित आश्वासन रद्द नहीं होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी एक नई समिति सभी आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं या वचनों की छानबीन करके उनमें से ऐसे आश्वासनों का चयन करती है जो अत्यधिक लोक महत्व के होते हैं। उसके बाद समिति लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें समिति द्वारा उन आश्वासनों के संबंध में विशेष रूप से सिफारिश की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा छोड़ा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है।

परिशिष्ट – बीस

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सातवीं बैठक

(24.06.2021)

समिति की बैठक 1500 बजेसे 1615 बजे तक समिति कक्ष "बी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री संतोष पांडेय

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री लवकेश कुमार शर्मा - निदेशक
3. श्री एस.एल.सिंह - उपसचिव

साक्षी

शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग)

1. श्री अमित खरे, सचिव, उच्च शिक्षा
2. प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी
3. श्री अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, एआईसीटीई
4. श्री राकेश रंजन, अपर सचिव (तकनीकी)
5. श्री विनीत जोशी, अपर सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
6. सुश्री कामिनी चौहान रतन, संयुक्त सचिव (एचई)
7. श्री मधु रंजन कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन और सीडीएन)
8. श्री मृत्युंजय बेहरा, आर्थिक सलाहकार (एचई)
9. सुश्री नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव (आईसीसी एवं भाषा)
10. प्रो. रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी
11. सुश्री रेणुका मिश्रा, निदेशक
12. सुश्री स्मिता श्रीवास्तव, निदेशक

13. प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव, (एआईसीटीई)

14. प्रो. कुमार रत्नम, सदस्य सचिव, आईसीएचआर

संसदीय कार्य मंत्रालय

1. पी.के. हलदर - अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया कि यह बैठक लंबित आश्वासनों के संबध में शिक्षा मंत्रालय (उच्य शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई है।

2. तत्पश्चात, शिक्षा मंत्रालय (उच्य शिक्षा विभाग), यू० जी०सी०,ए०आई० सी० टी० ई,०आई० सी० एच० आर० और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया। समिति की बैठक में साक्षियों का स्वागत करते हुए, सभापति ने उन्हें समिति के विचार-विमर्श को किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताने के लिए कहा। इसके बाद समिति ने लंबित आश्वासनों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (उच्य शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए। समिति मंत्रालय के आश्वासनों, जिसकी संख्या साक्ष्य की तिथि को 47 थी , के इतने लम्बे समय तक लंबित रहने की बात नोट करके विछुब्ध हुई। सभापति ने सचिव (उच्च शिक्षा) को मंत्रालय के लंबित आश्वासनों का संक्षिप्त-विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा और मंत्रालय में लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक तंत्र और निगरानी और समीक्षा प्रणाली के बारे में भी जानकारी ली।

3. सचिव (उच्च शिक्षा) ने तदनुसार समिति को इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से लंबित आश्वासनों की निगरानी के लिए अपनी समीक्षा बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने को कहा।

4. तत्पश्चात सभापति और सदस्यों ने विभिन्न प्रश्न उठाए और उस दिन विचारार्थ लिए गए 18 लंबित आश्वासनों (अनुलग्नक-I) पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे। साक्षियों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया और स्पष्टीकरण भी दिया। जैसा कि कुछ प्रश्नों के लिए विस्तृत उत्तर और विभिन्न पक्षों से इनपुट की आवश्यकता थी, सभापति ने साक्षियों से समय पर इस पर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा।

5. साक्ष्य पूर्ण हुआ।

6. सभापति ने साक्षियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत होने और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों और उनके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों पर उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया।

7. तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर बाहर चले गए ।

8. XXXX XXXX XXXX XXXX

9. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) लोक सभा

शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों जिन पर 24.06.2021 को मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा की गई, का विवरण

क्र.सं.	ता.प्र.सं/अता.प्र.सं. और दिनांक	विषय
1.	दिनांक 19.08.2011 की सामान्य चर्चा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक
2.	अता.प्र.सं. 5587 दिनांक 07.09.2011	छोटे स्तर के रूप में प्रकाशन
3.	अता.प्र.सं. 4175 दिनांक 19.12.2012	अध्ययन केन्द्र
4.	अता.प्र.सं. 3783 दिनांक 20.03.2013	राष्ट्रीय पुस्तक संबंधी नीति
5.	ता.प्र.सं. 136 दिनांक 16.07.2014	उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना
6.	अता.प्र.सं. 2941 दिनांक 30.07.2014	जेपीएनएनसीईएच (जय प्रकाश नारायण नेशनल सेन्टर फॉर एक्सेलेंस इन ह्यूमनिटीस)
7.	अता.प्र.सं. 4799 दिनांक 22.04.2015	भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं
8.	ता.प्र.सं. 341 दिनांक 12.08.2015	आईसीएचआर (इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च) में अनियमितताएं
9.	अता.प्र.सं. 2466 दिनांक 14.12.2015	संस्कृत भाषा का संवर्धन
10.	अता.प्र.सं. 19 दिनांक 25.04.2016	नॉन-एनईटी फेलोशिप
11.	अता.प्र.सं. 1243 दिनांक 02.05.2016	नॉन-एनईटी फेलोशिप
12.	अता.प्र.सं. 1351 दिनांक 02.05.2016	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का कार्यकरण
13.	ता.प्र.सं. 101 दिनांक 25.07.2016	विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

	(श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली द्वारा पूरक प्रश्न)	
14.	दिनांक 28.03.2017 की सामान्य चर्चा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016
15.	ता.प्र.सं. 4 दिनांक 17.07.2017	अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय
16.	अता.प्र.सं. 4947 दिनांक 26.03.2018	अजा, अजजा और ओबीसी का प्रतिनिधित्व
17.	अता.प्र.सं. 1974 दिनांक 30.07.2018	डिग्री कोर्स
18.	अता.प्र.सं. 2015 दिनांक 30.07.2018	डिग्री कोर्स

परिशिष्ट - इक्कीस

<u>कार्यवाही सारांश</u>

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पाँचवीं बैठक

(20.12.2021)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1645 बजे तक सभापति कक्ष, कमरा संख्या '216', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री संतोष पान्डेय
7. श्री एम के राघवन

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पाँच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया:

(i) 'शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 54वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(ii) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 55वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(iii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप 56वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा);

(iv) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप 57वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा); और

(v) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय संबंधी प्रारूप 58वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।

2. समिति ने सभापति को उक्त प्रतिवेदनों को चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करने हेतु भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट-बीडूस

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)*

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

<u>सदस्य</u>

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पांडेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सुले
15. रिक्त@

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री लवकेश कुमार शर्मा - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, <u>देखिए</u> दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202.

@ दिनांक 07.07.2021 से केन्द्रीय मंत्री परिषद् में शामिल होने के कारण श्री पशुपति कुमार पारस समिति के सदस्य नहीं रहे।